



भाग- I

के लिए ई-निविदा

मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई गुवाहाटी की दूसरी मंजिल पर निर्गम विभाग का नवीनीकरण

ई-निविदा संख्या- आरबीआई/गुवाहाटी/संपदा /2//26-27/ईटी/110
आरबीआई/गुवाहाटी/संपदा /3//26-27/ईटी/111

निविदाकर्ता का नाम: _____

पता: _____

ई-मेल आईडी और संपर्क नंबर: _____

ई-निविदा के प्रकाशन की तिथि	मई 22, 2026 17 पर: 00 Hours
प्री-बिड मीटिंग की तिथि	मई 28, 2026 पर 11:00 बजे से
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	15 जून 2026 14:00 बजे तक
ई-निविदा के भाग- I के खुलने की तिथि	जून 15, 2026 15: 00 बजे से



अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, गुवाहाटी ने इस परियोजना के बारे में इच्छुक पक्षों को पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज तैयार किया है। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने यहां निहित जानकारी तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे सटीक मानता है, न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही उसके किसी प्राधिकारी या एजेंसी या उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों ने इस दस्तावेज में निहित जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी दी है या कोई प्रतिनिधित्व किया है, व्यक्त या निहित या इसके संबंध में प्रदान की जा सकने वाली कोई जानकारी।

जानकारी संपूर्ण होने का इरादा नहीं है। इच्छुक पार्टियों को अपनी पूछताछ स्वयं करनी होगी। इस ई-टेंडर के उत्तरदाताओं को अपनी पूछताछ स्वयं करनी होगी और उन्हें केवल खाली ई-टेंडर दस्तावेजों/प्रपत्रों में निहित जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि प्रतिवादियों द्वारा कोई उचित परिश्रम नहीं किया जाता है तो भारतीय रिज़र्व बैंक जिम्मेदार नहीं है।

सूचना इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों के लिए गैर-बाध्यकारी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास परियोजना के साथ आगे न बढ़ने या परियोजना के विन्यास को न बदलने, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।



निविदा अनुसूची (एसओटी)

यह एक सीमित ई-टेंडर है। केवल वे बोलीदाता/विक्रेता जो "25 लाख रुपये और उससे अधिक और 50 लाख रुपये तक" की मूल्य श्रेणी के तहत ऐसे सिविल कार्यों के लिए आरबीआई गुवाहाटी के साथ सूचीबद्ध हैं या अन्यथा बैंक द्वारा अनुमति दी गई है, इस ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हैं।

व्यक्तियों	या क्रिस्म
1. ई-टेंडर नंबर	आरबीआई/गुवाहाटी/संपदा /2//26-27/ईटी/110 आरबीआई/गुवाहाटी/संपदा /2//26-27/ईटी/111
2. कार्य का नाम	मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई गुवाहाटी की दूसरी मंजिल पर निर्गम विभाग का नवीनीकरण
3. कार्य की अनुमानित लागत	₹49,42,399/ (रु. उनचास लाख बयालीस हजार तीन सौ उनहत्तर मात्र)
3. निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम ऑनलाइन (भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - एमएसटीसी कॉमन पोर्टल के माध्यम से वित्तीय बोली www.mstcecommerce.com)
4. एनआईटी की तिथि आरबीआई की वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए पार्टियों के लिए उपलब्ध है और एमएसटीसी पोर्टल	22 मई 2026 को 17:00 बजे से
5. प्री-बिड मीटिंग की तिथि और स्थान (ऑफ़लाइन)	28 मई, 2026 को 11:00 बजे से चौथी मंजिल, संपदा विभाग, आरबीआई गुवाहाटी
6. बयाना धन जमा:	भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी के पक्ष में आहरित ईएमडी के लिए अनुलग्नक IV के अनुसार डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के रूप में 98,848/- रुपये (अठानवे हजार आठ सौ अड़तालीस रुपये मात्र) की सुपुर्दगी संपदा विभाग, चौथी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक गुवाहाटी में की जाएगी
7. एमएसटीसी कॉमन पोर्टल के माध्यम से बोली शुरू होने की तारीख (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और वित्तीय बोली) www.mstcecommerce.com	22 मई, 2026 को 17:00 बजे से
8. डीडी / ईएमडी के लिए बैंक गारंटी	15.06.2026 दोपहर 2.00 बजे तक



9. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली के लिए ऑनलाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि	जून 15, 2026 14:00 बजे तक
10. भाग- I के खुलने की तिथि और समय (यानी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)	जून 15, 2026 15:00 बजे से
11. भाग- II के खुलने की तिथि और समय (यानी वित्तीय बोली)	वित्तीय बोली के खुलने की सूचना सभी पात्र बोलीदाताओं को बाद में ईमेल/टेलीफोन के माध्यम से दी जाएगी।
12. कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश की तारीख के दसवें दिन से कार्यों को पूरा करने के लिए अनुमत समय	180 दिन
13. प्रत्येक बिल से प्रतिधारण राशि (आरएम) काटी जानी चाहिए	बिल राशि का 5%
14. प्रदर्शन बैंक गारंटी	अनुबंध मूल्य का 5%



ई-प्रोक्वोरमेंट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपनी ऑनलाइन ई-निविदा जमा करने से पहले इस निविदा के नियमों और शर्तों को पढ़ लें। जो बोलीदाता दस्तावेजी प्रमाण (जहां भी आवश्यक हो) के साथ शर्तों का पालन नहीं करते हैं, वे मूल्य बोली खोलने के लिए ई-निविदा में अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे।

1. ई-टेंडर की प्रक्रिया:

a) **पंजीकरण:** इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्वोरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, विक्रेता अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। तकनीकी बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। विक्रेता के पास श्रेणी III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होती है। एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

विशेष लेख:

तकनीकी बोली को www.mstcecommerce.com पर एमएसटीसी पोर्टल (कॉमन पोर्टल) के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा।

a) विक्रेताओं को www.mstcecommerce.com के साथ खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है → ई-खरीद → सामान्य पोर्टल → विक्रेता लॉगिन → पंजीकरण → विवरण भरना और स्वयं की यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना → जमा करना होगा

b) विक्रेताओं को उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले आरबीआई/एमएसटीसी से संपर्क करें।

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई):

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	पदनाम	फोन संख्या
1	श्री पवन दास	सहायक प्रबंधक (टेक-सोवेल)	+91 8424058452
2	श्री रजत दास	सहायक प्रबंधक (संपदा)	+91 9433536847

संपदा विभाग की ई-मेल आईडी: estateguwahati@rbi.org.in

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड):

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	ई-मेल	फोन संख्या
1	श्री प्रशांत चितरंजन	pchitranjan@mstcindia.co.in	0361-2221199
		ghyopn1@mstcindia.in ,	+91 8592888286
		ghyopn2@mstcindia.in	
		helpdeskghy@mstcindia.in तथा	
		bmghymstc@mstcindia.in	



एमएसटीसी तकनीकी सहायता डेस्क: 0361-2221199

b) सिस्टम आवश्यकताएँ:

a) विंडोज 7 या उससे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम

b) IE-7 और इसके बाद के संस्करण इंटरनेट एक्सप्लोरर

c) हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर

d) नवीनतम अद्यतन JRE 8 (x86 ऑफ़लाइन) सॉफ़्टवेयर डाउनलोड किया जा सकता है और सिस्टम में स्थापित किया जा करने के लिए "सुरक्षित मोड" DSC के लिए "सुरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए निम्न सेटिंग्स लागू किया जा सकता है।

- उपकरण = > इंटरनेट विकल्प = > सुरक्षा = > सक्षम होने पर संरक्षित मोड को अक्षम करें- यानी, "संरक्षित मोड सक्षम करें" का उल्लेख करने वाले टिक बॉक्स से टिक निकालें।

c) अन्य सेटिंग्स:

- उपकरण = > इंटरनेट विकल्प => सामान्य => "ब्राउज़िंग इतिहास/ब्राउज़िंग इतिहास हटाएं" = > अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें = के तहत सेटिंग्स पर क्लिक करें = > "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता हूँ" सक्रिय करें।

- सभी सक्रिय X नियंत्रणों को सक्षम करने और टूल के तहत 'पॉप अप ब्लॉकर का उपयोग करें' को अक्षम करने के लिए→
इंटरनेट विकल्प
→ कस्टम पर (कृपया पृष्ठ से आईई सेटिंग्स www.mstcecommerce.com एक बार चलाएं)।

d) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने से पहले "विक्रेता गाइड" और "वीडियो गाइड" देखें।

तकनीकी बोली और वित्तीय बोली को ऑनलाइन जमा करना होगा www.mstcecommerce.com निविदा में दिए गए अनुसार निर्दिष्ट तिथि और समय पर बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।

निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।

2. लेन-देन शुल्क के लिए विशेष नोट: विक्रेता लॉगिन में "मेरा मेनू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। विक्रेताओं को ईवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। विक्रेता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान तैयार करेगा। विक्रेता चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि को उसमें बदलाव किए बिना भेज देगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार भुगतान एमएसटीसी के नामित बैंक में जमा हो जाने के बाद

खाता, लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत होगा और विक्रेता को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

3. लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है। एक विक्रेता के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच नहीं होगी।

नोट: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे कार्यक्रम के समापन समय से पहले लेनदेन शुल्क को अग्रिम रूप से जमा कर दें ताकि बोली जमा करने के लिए खुद को पर्याप्त समय मिल सके।

4. निविदाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी पोर्टल के साथ पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। निविदाकर्ताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

5. एनआईटी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकती है।

6. ई-टेंडर में बोली:

a) विक्रेता (ओं) को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक ईएमडी, निविदा शुल्क (यदि कोई हो) और लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) जमा करने की आवश्यकता है। निविदा शुल्क और लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य हैं। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेता (विक्रेताओं) के ईएमडी को निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण द्वारा वापस कर दिया जाएगा।

b) इस प्रक्रिया में तकनीकी और वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

c) जिन विक्रेताओं ने लेन-देन शुल्क जमा किया है, वे केवल एमएसटीसी की वेबसाइट www.mstcecommerce.com → कॉमन पोर्टल → विक्रेता लॉगिन → मेरे मेनू → नीलामी फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट में पंजीकरण → इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली जमा कर सकते हैं।
→ लाइव इवेंट का चयन।

d) विक्रेता जावा अनुप्रयोग चलाने की अनुमति देनी चाहिए। यह कवायद बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद की जानी चाहिए। फिर उन्हें सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरना होगा और उसे सहेजना होगा। उसके बाद तकनीकी बोली पर क्लिक करें। यदि यह एप्लिकेशन नहीं चलाया जाता है, तो विक्रेता अपनी तकनीकी बोली को सहेजने/जमा करने में सक्षम नहीं होगा।

e) तकनीकी बोली भरने के बाद, विक्रेता को अपनी तकनीकी बोली दर्ज करने के लिए 'सहेजें' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, वाणिज्यिक बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरना पड़ता है और फिर विक्रेता को अपनी वाणिज्यिक बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार दोनों तकनीकी बोली सहेज लिए जाने के बाद, विक्रेता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

f) विक्रेताओं को दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए दस्तावेज़ संलग्न करें बटन का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।

g) सभी मामलों में, विक्रेता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।



- h) पूरी ई-टेंडर प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता एक-दूसरे के लिए और बाकी सभी के लिए पूरी तरह से अनजान रहेंगे।
- i) ई-टेंडर फ्लोर पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा। ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां विक्रेता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति के निष्पादन के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बनाएगी।
- j) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ जमा की जाएं, अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- k) खरीदार बिना कोई कारण बताए पूर्ण या आंशिक रूप से निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार रखता है।
- l) निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-टेंडर फ्लोर में बोली जमा करने से निविदा के नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि होती है।
- m) इस निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।
- n) निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली प्राप्त करने की नियत तारीख को बढ़ाने का अधिकार है।
- o) विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे विक्रेता गाइड को पढ़ें और बोली लगाने से पहले उन्हें सिस्टम से परिचित कराने के www.mstcecommerce.com पेज में वीडियो देखें।
- p) तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं है।
- q) किसी भी विक्रेता द्वारा ई-टेंडर में बोली जमा करने से निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि होती है। इस निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा। निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस ई-निविदा को रद्द करने या बोली (निविदाओं) की प्राप्ति की नियत तारीख को बढ़ाने का अधिकार है।
- r) बोली का मूल्यांकन भरे हुए तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों के आधार पर किया जाएगा।
- s) बोलीदाताओं द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि जांच के दौरान बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है, तो चूककर्ता बोलीदाता (बोलीदाताओं) का ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा। चूककर्ता बोलीदाताओं के विरुद्ध निलंबन और कारोबार पर प्रतिबंध सहित दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
- विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे विक्रेता गाइड को पढ़ें और बोली लगाने से पहले उन्हें सिस्टम से परिचित कराने के www.mstcecommerce.com पेज में वीडियो देखें।



निविदा का रूप

दिनांक:
स्थान:

प्रति,

श्रीमती सुशिमता फुकन, क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी संपदा विभाग

महोदया,

"मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई गुवाहाटी की दूसरी मंजिल पर निर्गम विभाग का नवीनीकरण" इसके बाद निर्धारित ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित ड्राइंग, विनिर्देशों, डिजाइनों और मात्राओं की अनुसूची की जांच करने और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल की जांच करने और निविदा को प्रभावित करने के रूप में उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम एतद्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को मात्रा की संलग्न अनुसूची (भाग II) में उल्लिखित दरों पर और सभी मामलों में निविदा की शर्तों, समझौते के लेखों में संदर्भित विनिर्देशों, डिजाइनों, रेखाचित्रों और निर्देशों के अनुसार निष्पादित करने की पेशकश करते हैं, विशेष शर्तें, निविदा की मात्राओं और शर्तों की अनुसूची और ऐसी सामग्रियों के साथ जो अन्य सभी मामलों में प्रदान की जाती हैं, ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हो सकती हैं।

ज्ञापन

क्रम सं	काम का विवरण	
		मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई गुवाहाटी की दूसरी मंजिल पर निर्गम विभाग का नवीनीकरण
1	अनुमानित लागत (रु.)	₹49,42,399/- (रु. उनचास लाख बयालीस हजार तीन सौ निन्यानबे मात्र)
2	बयाना राशि (रु.)	₹98,848/-
3	प्रतिशत, यदि कोई हो, को प्रतिधारण राशि के रूप में बिल से काटा जाना है	बिल राशि का 5%
4	कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश की तारीख के दसवें दिन से कार्य पूरा करने के लिए समय दिया गया है	180 दिन

दो. यदि इस ई-निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम सभी शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं



और ई-निविदा की शर्तों और उसके डिफॉल्ट रूप से, आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या समनुदेशितियों या नामांकित व्यक्तियों को ऐसी रकम जब्त करने और भुगतान करने के लिए जो अनुबंध की लिखित स्वीकृति के साथ ई-टेंडर में निहित शर्तों में निर्धारित हैं।

तीन. मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि ई-निविदा (भाग-1) ई-निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से 60 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती है।

चार. मैं/हम समझते हैं कि आपको किसी भी या सभी ई-टेंडरों को, चाहे वे पूर्ण हों या आंशिक, बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

पाँच. ई-निविदा दस्तावेजों पर विधिवत हस्ताक्षर, पूर्ति और प्रस्तुत/अपलोड ऑनलाइन के माध्यम से अलग-अलग दो भागों में किया जाता है। भाग I में सभी वाणिज्यिक नियम और शर्तों और तकनीकी विवरण शामिल हैं और भाग II में बैंक के प्रो-फॉर्म में केवल मूल्य बोली शामिल है।

2. हमारे बैंकर हैं: i)

ii)

5. हमारी फर्म के मालिकाना/भागीदारों के नाम हैं:

i) _____

ii) _____

हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत फर्म के साझेदार का नाम।

या

अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति का नाम (पावर की प्रमाणित प्रति

अटॉर्नी का संलग्न किया जाना चाहिए)।

भवदीय ,

_____ ठेकेदार के हस्ताक्षर।



[नोट: यदि पार्टी एक मालिकाना फर्म या एक व्यक्ति है, तो उस पर मालिक या व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। यदि पार्टी एक साझेदारी फर्म है, तो उस पर सभी या सभी भागीदारों की ओर से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। यदि पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म/इनकॉर्पोरेट कंपनी है, तो फर्म की सामान्य मुहर को उसके निदेशक मंडल द्वारा आयोजित बैठक में पारित प्रस्तावों के अनुसार चिपकाया जाना है। _____ (संकल्प की प्रति संलग्न की जानी चाहिए)। यदि ठेकेदार सामान्य मुहर के तहत हस्ताक्षर करता है, तो हस्ताक्षर खंड को एसोसिएशन के लेखों में सीलिंग खंड के साथ मिलान करना चाहिए।

गवाह:

1) _____
(हस्ताक्षर)

नाम: _____

पता _____

1) _____
(हस्ताक्षर)

नाम: _____

पता _____



समझौते के लेख

..... पर किए गए समझौते के लेख का दिन भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी के बीच जिसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई-400001 (इसके बाद नियोक्ता कहा जाता है) में है, और (इसके बाद दूसरे भाग के "ठेकेदार") कहा जाता है।

जबकि नियोक्ता "मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई गुवाहाटी की दूसरी मंजिल पर निर्गम विभाग का नवीनीकरण" प्राप्त करने का इच्छुक है और बैंक (नियोक्ता) के इंजीनियर के निर्देशन में किए जाने वाले कार्य को दिखाने और वर्णन करने के लिए ड्राइंग और / या मात्रा की अनुसूची तैयार की है।
और जबकि उक्त विनिर्देशों, मात्रा और रेखाचित्रों की अनुसूची पर पार्टियों द्वारा या उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

और जबकि ठेकेदार यहां निर्धारित शर्तों और विशेष शर्तों में निर्धारित शर्तों और अनुबंध की मात्रा और शर्तों की अनुसूची में निर्धारित शर्तों (जिनमें से सभी को सामूहिक रूप से 'उक्त शर्तें' कहा गया है) में निर्धारित शर्तों के अधीन और निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है (जिनमें से सभी को सामूहिक रूप से 'उक्त शर्तें' कहा गया है) उक्त चित्रों पर दिखाए गए कार्य और/या उक्त विनिर्देश में वर्णित हैं और वहां संबंधित दरों पर मात्रा की अनुसूची में शामिल हैं निर्धारित राशि के रूप में उस पर प्राप्त राशि या ऐसी अन्य राशि जो उसके तहत देय हो जाएगी। (इसके बाद 'उक्त अनुबंध राशि' के रूप में संदर्भित)

अब इस पर इस प्रकार सहमति व्यक्त की जाती है:

1. उक्त शर्तों में निर्धारित समय पर और तरीके से भुगतान की जाने वाली उक्त अनुबंध राशि को ध्यान में रखते हुए, ठेकेदार उक्त आरेखों पर दिखाए गए कार्य को पूरा करेगा और उक्त विनिर्देशों और मात्रा की अनुसूची में वर्णित है।
2. नियोक्ता ठेकेदार को उक्त अनुबंध राशि या ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा जो उक्त शर्तों में निर्दिष्ट समय और तरीके से देय हो जाएगी।
3. उक्त शर्तों और उसके परिशिष्ट को इस समझौते के हिस्से के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा और इसके पक्ष क्रमशः उक्त शर्तों और पत्राचार का पालन करेंगे, खुद को प्रस्तुत करेंगे और उक्त शर्तों और पत्राचार में क्रमशः अपनी ओर से समझौतों का पालन करेंगे।
4. यहां उल्लिखित योजनाएं, समझौते और दस्तावेज इस अनुबंध का आधार बनेंगे। ठेकेदार निविदा दी गई मात्रा से अधिक मात्रा के भुगतान के लिए हकदार नहीं होगा जब तक कि बैंक के इंजीनियर/अधिकारी से विशिष्ट लिखित निर्देशों द्वारा आदेश न दिया गया हो।

यह अनुबंध न तो एक निश्चित एकमुश्त राशि का अनुबंध है और न ही एक टुकड़ा कार्य अनुबंध है, बल्कि यह "मुख्य कार्यालय भवन की दूसरी मंजिल पर निर्गमन विभाग के नवीनीकरण" के संबंध में कार्य करने का अनुबंध है, जिसकी राशि 49,42,399 रुपये (चवालीस लाख बयालीस हजार तीन सौ उनहत्तर रुपये मात्र) है, जिसमें जीएसटी और कोई अन्य लागू कर और शुल्क शामिल हैं, जिसका भुगतान वास्तविक मापी गई मात्रा के अनुसार दरों की अनुसूची और संभावित मात्रा में निहित दर के अनुसार या उक्त शर्तों में दिए गए अनुसार किया जाएगा।

5. नियोक्ता इस अनुबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना काम की किसी भी वस्तु को जोड़कर या छोड़कर या उसी के कुछ हिस्सों को पूरा करके कार्य के चित्र और/या प्रकृति को बदलने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।
6. समय को इस अनुबंध का सार माना जाएगा और ठेकेदार इस प्रकार साइट को उसे सौंपे जाने के तुरंत बाद या औपचारिक कार्य आदेश जारी होने की तारीख के दसवें दिन से, जैसा कि उक्त शर्तों में प्रदान किया गया है, जो भी बाद में हो, कार्य शुरू करने और समय के विस्तार के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, पूरे कार्य को 180 दिनों के भीतर पूरा करने के लिए सहमत है।
7. इस अनुबंध के तहत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान केवल गुवाहाटी में किए जाएंगे।
8. ठेकेदार को वेतन भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ग्रेजुटी अधिनियम 1972, स्टॉप अधिनियम 1899, ईपीएफ अधिनियम 1952, ईएसआई अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 आदि और सभी लागू वैधानिक नियमों/दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। किसी भी वैधानिक मानदंडों/आवश्यकताओं द्वारा जारी किए गए नोटिस/जुर्माना, यदि कोई हो, का भुगतान ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को किसी भी दावे के बिना किया जाएगा।
9. ठेकेदार को ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970, ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 और असम श्रम अनुबंध (विनियमन और उन्मूलन) नियम, 1971 के अनुपालन का पालन करना चाहिए और कार्य स्थल पर संबंधित नोटिस बोर्ड प्रदर्शित करना चाहिए।
10. ठेकेदार को "कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013" के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा। ठेकेदार को कार्यस्थल पर तैनात किए जाने वाले कार्यकर्मियों की एक पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करने की आवश्यकता है।
11. इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या किसी भी तरह से संबंधित सभी विवादों को गुवाहाटी में उत्पन्न माना जाएगा और केवल गुवाहाटी के न्यायालयों के पास इसे निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।
12. इस अनुबंध के कई हिस्सों को ठेकेदार द्वारा पढ़ा गया है और ठेकेदार द्वारा पूरी तरह से समझा गया है।
13. ठेकेदार, नियोक्ता (बैंक) के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/उपकरण आदि से संबंधित कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के दौरान ठेकेदार के कब्जे या जानकारी में आ सकती है, उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा, और हर समय उसे अत्यंत गोपनीय रखेगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय उस सीमा तक जहाँ तक इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। ठेकेदार, नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या कहीं और कार्यों का कोई भी विवरण प्रकाशित नहीं करेगा, न ही प्रकाशित करने की अनुमति देगा, और न ही उसका खुलासा करेगा। ठेकेदार, किसी भी गोपनीय जानकारी के खुलासे के परिणामस्वरूप नियोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा, और नियोक्ता क्षतिपूर्ति का दावा करने तथा कानूनी प्रक्रिया अपनाएनेका हकदार होगा।



14. ठेकेदार उक्त शर्तों में निर्धारित तरीके से सिविल कार्यों और अन्य सहायक कार्यों से संबंधित सभी कार्यों को पूरा करने के लिए हर उचित सुविधा प्रदान करेगा, और ऐसे कार्यों के पूरा होने के बाद दीवारों, फर्शों आदि को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा।

15. गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति तक बने रहेंगे।

इसके साक्ष्य स्वरूप, नियोक्ता और ठेकेदार ने, ऊपर सबसे पहले लिखे गए दिन और वर्ष को, इस दस्तावेज़ और इसकी दो प्रतियों पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं।

(यदि ठेकेदार एक साझेदारी या एक व्यक्ति है)

इसके साक्ष्य स्वरूप, नियोक्ता ने अपने विधिवत अधिकृत अधिकारी के माध्यम से इन दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर किए हैं, और ठेकेदार ने इन पर अपनी सामान्य मुहर लगाई है, तथा उक्त दो प्रतियों / इन दस्तावेजों और इनकी उक्त दो प्रतियों को अपनी ओर से निष्पादित करवाया है, जैसा कि ऊपर सबसे पहले दिन और वर्ष अंकित है।

(यदि ठेकेदार एक कंपनी है)

हस्ताक्षर खंड

श्री के हाथ से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हस्ताक्षर किए गए और वितरित किए गए
..... (नाम और पदनाम)

गवाहों की उपस्थिति में-

एक)

पता:

दो).....

पता:

यदि भाग एक साझेदारी फर्म है या किसी भी व्यक्ति पर सभी या सभी भागीदारों की ओर से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए



द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया

..... गवाह-

1)..... पता

2)

पता की

सामान्य मुहर

(ख) को हुई बैठक में इसके निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्पों के अनुसरण में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे।
की उपस्थिति में

एक)

दो)

यदि ठेकेदार अपनी सामान्य मुहर के तहत हस्ताक्षर करता है, तो हस्ताक्षर खंड को एसोसिएशन के लेखों में उनके सीलिंग खंड के साथ मिलान करना चाहिए।

अगर कॉन्ट्रैक्टर की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए हस्ताक्षर किए जाते हैं, चाहे वह कंपनी हो या कोई व्यक्ति

एक)

दो).....

यदि ठेकेदार पर पावर ऑफ अटॉर्नी के हाथ से हस्ताक्षर किए गए हैं, चाहे वह किसी कंपनी का हो या किसी व्यक्ति का

द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित किया गया

ठेकेदार, श्री/श्रीमती/सुश्री के माध्यम से, और विधिवत नियुक्त अटॉर्नी।



ठेकेदारों के लिए पूर्व-बोली योग्यता और सामान्य निर्देश

1. इच्छुक निविदाकर्ताओं को निविदा की तकनीकी-वाणिज्यिक (भाग-1) बोली के साथ ऊपर बताए गए सभी बिंदुओं को पूरा करने वाले प्रासंगिक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। समान पात्रता दस्तावेज एमएसटीसी पोर्टल पर तकनीकी वाणिज्यिक बोली (भाग- 1) के साथ अपलोड किए जाने चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निविदा प्रक्रिया ई-टेंडरिंग के माध्यम से एमएसटीसी पोर्टल पर निष्पादित की जाएगी।
2. इच्छुक निविदाकर्ताओं द्वारा बैंक को संतुष्ट करने में विफल रहने की स्थिति में, बैंक उनकी भागीदारी से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
3. निविदा फॉर्म 22 मई, 2026 से 17:00 बजे से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा। बोली-पूर्व बैठक 28 मई, 2026 को सुबह 11:00 बजे से चौथी मंजिल, संपदा विभाग, मुख्य कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी में आयोजित की जाएगी। बोली-पूर्व बैठक या किसी भी शुद्धिपत्र/संशोधन का कार्यवृत्त बैंक की वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।

निविदा फॉर्म को आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in या www.mstcecommerce.com से देखने के लिए डाउनलोड किया जा सकता है। आवश्यक पूर्व-योग्यता पत्र एमएसटीसी पोर्टल पर तकनीकी वाणिज्यिक बोली (भाग-1) के साथ अपलोड किए जाने चाहिए।

4. इच्छुक विक्रेता/फर्म (www.mstcecommerce.com) ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II के साथ पंजीकरण प्राप्त करने के बाद ई-निविदा में भाग ले सकते हैं-मूल्य बोली (www.mstcecommerce.com) के माध्यम से खोली जाएगी और लागू लेनदेन शुल्क का भुगतान फर्म द्वारा किया जाना चाहिए।
5. निर्धारित प्रारूप में निविदा एमएसटीसी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। निविदा के भाग-I में प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें, निविदाकर्ताओं का कवरिंग लेटर शामिल होगा। निविदा के भाग- II में कोई शर्त नहीं होगी, लेकिन निविदाकर्ता की मूल्य बोली, बैंक की मात्रा की अनुसूची, निविदा आहरण, यदि कोई हो, केवल शामिल होगी।
6. निविदाओं का भाग- I निविदाकर्ताओं द्वारा एमएसटीसी पोर्टल में प्रस्तुत किया जाएगा। इसे RBI द्वारा 15 जून, 2026 को 15:00 बजे खोला जाएगा। जो निविदाकर्ता अपने प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्त करना चाहते हैं, वे इसके लिए अपने प्रतिनिधियों को संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, स्टेशन रोड, पान बाजार, गुवाहाटी-781001 में प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। टेंडर का पार्ट II बाद में खोला जाएगा। इसके लिए उचित सूचना दी जाएगी।
7. बैंक अपने ग्राहकों और बैंकरों से निविदाकर्ता के पिछले प्रदर्शन पर रिपोर्ट प्राप्त करेगा। बैंक निविदाओं के भाग- II को खोलने से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी भी निविदाकर्ता को किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है और/या उसके ग्राहकों और/या उसके बैंकरों से प्राप्त उसकी प्रदर्शन रिपोर्ट और असंतोषजनक पाया जाता है, तो बैंक निविदा के भाग-I को खोलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
8. बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
9. निविदाएं निविदा के भाग- II के खुलने की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए खुली

रहेंगी, जिसकी अवधि आपसी समझौते द्वारा बढ़ाई जा सकती है और निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेगा।

10. निविदा की तैयारी:

- a) निविदाकर्ता को दरों को भरने के लिए केवल बैंक द्वारा जारी किए गए फॉर्म का उपयोग करना चाहिए।
- b) टेंडर फॉर्म हिंदी/अंग्रेजी में भरना होगा। यदि कोई दस्तावेज गुम है या अहस्ताक्षरित है, तो निविदा को बैंक द्वारा अपने विवेक पर अमान्य माना जा सकता है।
- c) दरों को निर्दिष्ट कॉलम में आंकड़ों और शब्दों दोनों में उद्धृत किया जाना चाहिए। निविदा खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी बदलाव की सलाह पर विचार नहीं किया जाएगा।
- d) प्रत्येक निविदा दस्तावेज पर प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए

अनुबंध की सामान्य शर्तों, विनिर्देशों, विशेष शर्तों आदि से परिचित होने के लिए निविदा के रूप में निविदा। किसी भी दस्तावेज के साथ किसी भी निविदा पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे।

e) एक फर्म की ओर से प्रस्तुत निविदा पर फर्म के सभी भागीदारों या एक भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके पास प्रस्तावित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए फर्म की ओर से आवश्यक अधिकार है। अन्यथा, बैंक द्वारा निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।

11. अनुबंध समझौता: बैंक से उसकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता अनुबंध को लागू करने के लिए बाध्य होगा और उसके दस दिनों के भीतर सफल निविदाकर्ता मसौदा समझौते और शर्तों की अनुसूची के अनुसार एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदा करने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध होगी, चाहे ऐसा औपचारिक समझौता बाद में निष्पादित किया गया हो या नहीं।

12. प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी): समझौते के समय सफल निविदाकर्ता को समग्र रूप से कार्य की उचित पूर्ति के लिए अनुबंध मूल्य के 5% की राशि के 6 महीने की वैध बैंक गारंटी (हार्ड कॉपी) प्रस्तुत करनी होगी। इस बीजी के खिलाफ बिना किसी ब्याज के काम पूरा होने पर उसी पीबीजी को विक्रेता को वापस कर दिया जाएगा। बीजी की वैधता वर्क ऑर्डर जारी होने की तारीख से या उसके बाद की होगी।

13. एसडी की वापसी: सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि ठेकेदार को बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी, अर्थात्, डीएलपी के सफल समापन और विकसित सभी दोषों के संतोषजनक सुधार पर और उक्त डीएलपी के दौरान ठेकेदार को इंगित किया जाएगा।

14. बयाना धन जमा (ईएमडी):

a) किसी भी परिस्थिति में बयाना धन जमा बैंक की सावधि जमा रसीद या बीमा गारंटी या चेक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान की गई बयाना राशि को काम सौंपने और पीबीजी जमा करने के बाद जारी किया जाएगा। उक्त जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

15) असाइनमेंट/उप-अनुबंध देना:

a) ठेकेदार अनुबंध नहीं सौंपेगा। वह नियोक्ता की लिखित सहमति के अलावा अनुबंध के किसी भी हिस्से को सबलेट नहीं करेगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, नियोक्ता अनुबंध को रद्द करने वाले ठेकेदार पर लिखित रूप में एक नोटिस दे सकता है, जिसके बाद नियोक्ता को सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

b) ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के ड्राइंग, विवरण और निर्देशों के अनुसार सभी कार्यों को सख्ती से करेगा। यदि बैंक के इंजीनियर की राय में डिजाइन में परिवर्तन किया जाना है और नियोक्ता के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ वे चाहते हैं कि ठेकेदार इसे पूरा करे, तो ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इसे पूरा करेगा।

c) यदि कार्य स्थल पर ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और यदि उपलब्ध है और अपर्याप्त पाई जाती है, तो यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह अपनी लागत पर पानी और बिजली प्राप्त करने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करे।



2. सुरक्षा कोड: ठेकेदार यहां संलग्न सुरक्षा कोड के प्रावधान का सख्ती से पालन करेगा।

दो) पूरा होने की समय अवधि:

- कार्य को पूरा करने के लिए अनुमत समय 180 कैलेंडर दिन है जिसका निविदाकर्ता द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा। कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश के दसवें (10वें) दिन से समय की गणना की जाएगी।
- सफल निविदाकर्ता को विस्तृत कार्य कार्यक्रम प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी और काम शुरू करने से पहले वास्तुकार/नियोक्ता से अनुमोदित किया जाएगा और तदनुसार प्रगति की निगरानी वास्तुकार/नियोक्ता द्वारा की जाएगी।
- कार्य अनुबंध की निर्धारित अवधि के दौरान सभी उचित परिश्रम के साथ किया जाएगा।

तीन) परिसमापन क्षति: यदि ठेकेदार निर्दिष्ट पूर्णता अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो वह स्वीकृत अनुबंध राशि के अधिकतम 10% के अधीन प्रति दिन ₹1765/- की दर से परिसमापन क्षति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

ठेकेदार कार्य शुरू करने या निष्पादित करने में विलंब के कारण उसे हुई किसी भी हानि के लिए किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा, चाहे विलंब का कारण जो भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए कार्य में संशोधन या उससे जुड़े किसी उप-अनुबंध में उत्पन्न होने वाली देरी या परियोजना के अन्य व्यापारियों के लिए ठेके देने में या ऐसे कार्यों को शुरू करने या पूरा करने में या सरकार द्वारा नियंत्रित अधिग्रहण में देरी शामिल है या अन्य निर्माण सामग्री या निर्माण उद्देश्य के लिए पानी और बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में या किसी अन्य कारण से और नियोक्ता इसलिए किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। नियोक्ता निविदा राशि के अलावा किसी भी राशि के लिए देयता स्वीकार नहीं करता है, इस तरह के परिवर्तनों के अधीन जैसा कि यहां प्रदान किया गया है।

चार) बुनियादी कीमतें:

- जहां भी सामग्री के लिए मूल मूल्य निर्दिष्ट किया गया है, ठेकेदार को सभी कर भुगतान किए गए बिलों के सत्यापन के लिए नियोक्ता को प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसी सामग्री खरीदने से पहले वास्तुकार/बैंक के इंजीनियरों से खरीद दर को मंजूरी दी जाएगी। सामग्री की कीमत में समायोजन केवल मापी गई मात्रा पर किया जाएगा। ठेकेदार के ओवरहेड्स और मुनाफे को लागत अंतर पर नहीं माना जाएगा।
- मूल कीमतें पूर्व-गो-डाउन हैं और इनमें जीएसटी और सरकार या किसी भी सार्वजनिक निकाय द्वारा लगाए गए अन्य सभी शुल्क शामिल हैं। संबंधित मद के लिए उद्धृत दर में साइट पर परिवहन, भंडारण, हैंडलिंग आदि शामिल होंगे।

पाँच) निविदाकर्ता खुद को पूरी तरह से सूचित करने के लिए:

- निविदाकर्ता को अपनी जिम्मेदारी पर और अपने स्वयं के खर्च पर सभी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो इस निविदा को बनाने के उद्देश्य से और एक अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक हो सकती है और उसे चित्र की जांच करनी चाहिए और कार्य स्थल का निरीक्षण करना चाहिए



और सभी स्थानीय परिस्थितियों, कार्य तक पहुंच के साधनों, कार्य की प्रकृति और उससे संबंधित सभी मामलों से खुद को परिचित कराएं।

b) निविदाकर्ता को श्रम, सामान्य और विशेष शर्तों, विनिर्देशों, अनुसूचियों और चित्रों सहित कार्य और साइट की स्थितियों की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए माना जाएगा और यह माना जाएगा कि उसने काम की साइट का दौरा किया है और स्थानीय परिस्थितियों के बारे में खुद को पूरी तरह से सूचित किया है और निविदा में उद्धृत दरों पर पहुंचने के लिए अपनी जांच की है। इस संबंध में उसे विभाग के पास उपलब्ध आवश्यक जानकारी दी जाएगी लेकिन इसकी सटीकता की कोई गारंटी नहीं दी जाएगी।

c) यदि निविदाकर्ता को सामान्य शर्तों के किसी भी हिस्से के अर्थ के बारे में कोई संदेह होगा, या विशेष शर्तों, या काम के दायरे या विनिर्देशों और रेखाचित्रों या अनुबंध से संबंधित किसी अन्य मामले के बारे में वह अच्छे समय में, अपनी निविदा जमा करने से पहले, उसके विवरण को सामने रखेगा और उन्हें लिखित रूप में नियोक्ता को प्रस्तुत करेगा ताकि इस तरह के संदेहों को निविदा से पहले लिखित रूप में आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया जा सके। एक बार निविदा जमा हो जाने के बाद, इस तरह के प्रामाणिक पूर्व-स्पष्टीकरण के अभाव में मामले को निविदा शर्तों के अनुसार तय किया जाएगा।

पेंतीस. सफल निविदाकर्ता को काम के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों की खरीद के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए।

छत्तीस. निविदाकर्ता को इस निविदा प्रपत्र में निहित अनुमोदित ब्रांड और/या निर्माण की सामग्री की सूची में निर्दिष्ट मेक/निर्माताओं की सामग्री का उपयोग करना होगा।

सैंतीस. निविदा में उद्धृत दरों में सभी आपूर्तियों के लिए आपूर्ति, स्थापना (असेंबली), परीक्षण, पैकिंग, हैंडलिंग और परिवहन के लिए सभी शुल्क शामिल होंगे। दरों में भंडारण, घड़ी और वार्ड, अस्थायी संरचनाएं, रात में प्रकाश व्यवस्था, उपकरण और टैकल, निर्माण और कमीशनिंग कार्यों के लिए श्रम और अन्य सेवाएं शामिल होंगी।

अड़तीस. दरें भी निश्चित होंगी और विनिमय भिन्नताओं, श्रम की स्थिति, रेलवे माल ढुलाई में उतार-चढ़ाव या किसी भी शर्त के अधीन नहीं होंगी। निविदाकारों को अपनी दरों में आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, जीएसटी, बिक्री कर, वैट (मूल्य वर्धित कर), उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, चुंगी कार्य अनुबंध कर, सेवा कर और केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य कर और शुल्क या अन्य लेवी को शामिल करना होगा, यदि लागू हो। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, जीएसटी, बिक्री कर, कार्य अनुबंध पर बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, वैट, ऑक्ट्रॉय या अन्य कर या शुल्क या लेवी के संबंध में कोई दावा नहीं किया जाएगा, चाहे वह मौजूदा हो या भविष्य। ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता, विक्रेता का बिल जीएसटी आवश्यकताओं और अनुपालन के अनुसार होगा।

उन्तालीस. निविदा में जहां भी आईएस कोड नंबर का उल्लेख किया गया है, निविदाएं खोलने की तारीख के अनुसार आईएस कोड का नवीनतम संस्करण होगा।

चालीस. सफल निविदाकर्ता को निर्भरता आदि सहित इस कार्य में शामिल विभिन्न गतिविधियों के लिए बार चार्ट प्रस्तुत करना होगा और तदनुसार कार्य की प्रगति की नियमित निगरानी करनी होगी।



इक्तालीस. सफल निविदाकर्ता की सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी यदि वह अनुबंध की किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है।

बयालीस. त्रुटियां, चूक और विवरण:

a) त्रुटियों, चूक और/या चित्रों पर लिखित और स्केल किए गए आयामों के बीच या चित्र और विनिर्देश आदि के बीच असहमति के मामले में वरीयताओं का निम्नलिखित क्रम लागू होगा।

1. एक ड्राइंग पर वास्तविक स्केल और लिखित आयाम (या विवरण) के बीच बाद में अपनाया जाएगा।

2. चित्र में लिखित या दिखाए गए विवरण या आयामों और विनिर्देश में संबंधित एक के बीच, बाद में सही माना जाएगा।

3. विनिर्देशों में आइटम के लिखित विवरण और एक ही आइटम की मात्रा की अनुसूची में विस्तृत विवरण के बीच, बाद में अपनाया जाएगा।

b) आंकड़ों और शब्दों में उद्धृत दरों के बीच अंतर के मामले में, मूल निविदा प्रपत्र में वस्तु की कुल राशि का हिसाब लगाने के लिए अपनाई गई दर को सही माना जाएगा। अन्य सभी मामलों में सही दर वह होगी जो कम है।

c) निविदा और मूल निविदा की डुप्लिकेट/बाद की प्रतियों के बीच, मूल को सही माना जाएगा।

d) किसी भी मद या विनिर्देश में चूक और/या संदेह या विसंगतियों के सभी मामलों में सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी)/सहायक प्रबंधक (तकनीकी), संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी को एक संदर्भ दिया जाएगा, जिसके स्पष्टीकरण, विस्तार या निर्णय को प्रामाणिक माना जाएगा। ठेकेदार को किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा जो इस तरह के संदर्भ और सावधानी के अभाव में काम में हो सकती है।

चवालीस. साफ-सुथरा स्थल:

कार्य पूरा होने के बाद ठेकेदार नियोक्ता द्वारा निर्देशित साफ-सुथरी परिस्थितियों में भवन छोड़ देगा। यदि किसी भी कारण से अनुबंध समय से पहले समाप्त हो जाता है, तो ठेकेदार शांति से नियोक्ता को सब कुछ वापस सौंप देगा और नियोक्ता द्वारा निर्देशित साफ, साफ सुथरी परिस्थितियों में भवन छोड़ देगा। ठेकेदारों की अंतिम बकाया राशि का निपटान साइट से सभी मलबे को हटाने के बाद ही किया जाएगा। ठेकेदार की ओर से ऐसा करने में विफलता के मामले में, नियोक्ता इसे ठेकेदार के जोखिम और लागत पर पूरा करेगा।

पैंतालीस. श्रम कानून:

(अ) ठेकेदार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और उसके तहत बनाए गए नियमों और अन्य सभी प्रासंगिक सांविधिक अधिनियमों (जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि) के तहत निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन करेगा और उन्हें पूरा करेगा। यदि ठेकेदार द्वारा नियोजित मजदूरों की संख्या बीस या उससे अधिक है, तो ठेकेदार क्षेत्रीय श्रम आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त करेगा।



ठेकेदार क्षेत्रीय श्रम आयुक्त द्वारा अपेक्षित सभी रजिस्ट्रों/दस्तावेजों को साइट पर बनाए रखेगा और जब भी आवश्यक हो, बैंक या उसके प्रतिनिधि को प्रस्तुत करना चाहिए।

(आ) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), गुवाहाटी के कार्यालयों के पास इस संविदा के अंतर्गत श्रम कानूनों के कार्यान्वयन का अधिकार क्षेत्र होगा।

छियालीस. **प्रतिबंध / अयोग्यता:** एक बोलीदाता निम्नलिखित आधारों पर बोली लगाने से प्रतिबंध/अयोग्यता के लिए उत्तरदायी है:

- A. यदि यह निर्धारित किया जाता है कि बोलीदाता ने अखंडता की संहिता के उल्लंघन में निम्नलिखित कार्य या चूक की है:
1. खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ के बदले में या अन्यथा खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत, इनाम या उपहार या किसी भी भौतिक लाभ की पेशकश, याचना या स्वीकृति करना।
 2. कोई भी चूक या गलत बयानी जो गुमराह कर सकती है या गुमराह करने का प्रयास कर सकती है ताकि वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त किया जा सके, या एक दायित्व से बचा जा सके।
 3. कोई भी मिलीभगत बोली में हेराफेरी या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार जो खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित कर सकता है।
 4. खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के इरादे से या व्यक्तिगत लाभ के लिए बोली लगाने वाली इकाई द्वारा प्रदान की गई जानकारी का अनुचित उपयोग।
 5. बोलीदाता और खरीद इकाई के किसी भी अधिकारी के बीच निविदा या अनुबंध की निष्पादन प्रक्रिया से संबंधित कोई भी वित्तीय या व्यावसायिक लेन-देन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीद इकाई के निर्णय को प्रभावित कर सकता है।
 6. खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी पक्ष या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी जबरदस्ती या कोई खतरा।
 7. किसी भी जांच या खरीद प्रक्रिया की लेखा परीक्षा में बाधा।
 8. निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या अनुबंध सुरक्षित करने के लिए झूठी घोषणा करना या गलत जानकारी प्रदान करना।
 9. भारत या किसी अन्य देश में किसी सार्वजनिक संस्थान/इकाई के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए किसी भी पूर्व उल्लंघन का खुलासा करने में विफल रहना या किसी सार्वजनिक खरीद संस्थान/इकाई द्वारा वर्जित होना।
- B. सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन के अलावा बोलीदाता द्वारा किसी भी कार्रवाई या चूक के लिए, जो बैंक की राय में घटिया सामग्री की आपूर्ति, सामग्री की गैर-आपूर्ति, कार्यों का परित्याग, कार्यों की घटिया गुणवत्ता, निविदा की शर्तों का पालन करने में विफलता आदि जैसे कारणों से प्रतिबंधित है।



C. यदि बोलीदाता को किसी अपराध के तहत दोषी ठहराया गया है

1. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; या
2. भारतीय दंड संहिता या तत्समय लागू कोई अन्य कानून, सार्वजनिक खरीद संपर्क के निष्पादन के हिस्से के रूप में किसी भी तरह के जीवन या संपत्ति की हानि या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने के लिए है।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए प्रदान किए गए उपरोक्त निर्देशों, नियमों और शर्तों आदि को पढ़ और समझ लिया है और तदनुसार मेरी दरों को उद्धृत किया है।

स्थान:

ठेकेदार का नाम:

दिनांक:

पता:

ठेकेदार का हस्ताक्षर और मुहर:



बोलीदाताओं को विशेष निर्देश

1. श्रमिकों को रात के समय भवन के भीतर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. ठेकेदार प्रवेश पास प्राप्त करने के लिए उक्त कार्य के लिए अपने कामगारों के पते, व्यक्तिगत विवरण और फोटो बैंक को प्रस्तुत करेगा। बैंक द्वारा जारी फोटो पास दिखाने पर ही श्रमिकों को भवन के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। ठेकेदार, उसके कर्मचारियों और श्रमिकों को बैंक के सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा।
3. स्थानीय निकायों से आवश्यक अनुमति, यदि कोई हो, ठेकेदार द्वारा प्राप्त की जाएगी।
4. इच्छुक बोलीदाता किसी भी बैंक के कार्य दिवस पर क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, गुवाहाटी के कार्यालय से निविदा आहरण, विनिर्देशों आदि के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है।
5. बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार, कार्य के लिए संपूर्ण सामग्री को केवल कार्य घंटों के निर्दिष्ट समय के दौरान उपलब्ध मार्ग के माध्यम से कार्य क्षेत्र में लाया जाएगा।
6. बोलीदाता कृपया ध्यान दें कि अन्य रहने वालों को किसी भी असुविधा के बिना सामान्य कार्य घंटों/प्रतिबंधित घंटों के दौरान एक कब्जे वाली इमारत में काम किया जाना चाहिए। प्रत्येक मद के लिए उद्धृत दरों को तदनुसार उद्धृत किया जाएगा।
7. बोलीदाता कृपया ध्यान दें कि, कार्य दिन के समय या बैंक के निर्देशों के अनुसार किया जाना है। शोर पैदा करने वाले सभी निराकरण कार्य और कार्य दिन के समय और छुट्टियों के दिनों में किए जाएंगे और दिन के समय का काम प्रतिबंधित घंटों पर करना पड़ सकता है। ठेकेदार दरों को उद्धृत करते समय उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखेगा। इसमें शामिल पूरे कार्य को भवन में रहने वालों को कम से कम परेशानी के साथ किया जाएगा और ठेकेदार द्वारा दिन-प्रतिदिन की सफाई भी की जानी चाहिए। बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के अनुसार मजदूरों द्वारा उपयोग की जाने वाली सीढ़ियों और मार्गों को ठीक से साफ किया जाएगा।
8. हर समय साफ-सुथरी हाउसकीपिंग ठेकेदार की जिम्मेदारी है। उपरोक्त कार्य से उत्पन्न मलबे/धूल या किसी भी अपशिष्ट को आवश्यकतानुसार बार-बार साफ किया जाएगा और बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार बैंक के भवन के अंदर निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा। बोलीदाता बैंक के भवन के अंदर निर्दिष्ट स्थान पर जमा सभी मलबे को हटा देगा और इसे नगर निगम के अनुसार अनुमोदित अपशिष्ट डंपिंग स्थान पर स्थानांतरित कर देगा।



जब और जब संचित अपशिष्ट एक ट्रक लोड के आसपास या उससे पहले होता है, तो बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देश दिए जाते हैं। इस संबंध में अपने नियमों/विनियमों के उल्लंघन के लिए नगरपालिका अधिकारियों द्वारा लगाए गए किसी भी दंडात्मक कार्रवाई/दंड के लिए ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

9. यदि आवश्यक हो तो बैंक द्वारा अलग-अलग एजेंसियों के माध्यम से कुछ अन्य कार्य, जैसे विद्युत, संरचनात्मक मरम्मत आदि का आयोजन किया जा सकता है। ठेकेदार साइट पर बैंक द्वारा तैनात अन्य सभी एजेंसियों के साथ अपने काम का समन्वय करेगा ताकि किसी अन्य एजेंसी के नियोजित कार्य में कोई बाधा प्रस्तुत न हो।

10. सफल बोलीदाता को कार्य का लेआउट और उक्त कार्य से संबंधित किसी भी अन्य कार्य चित्र को तैयार करना चाहिए, यदि आवश्यक हो, तो 1:4 के पैमाने पर और काम शुरू करने से पहले इसे बैंक के इंजीनियर से अनुमोदित करना चाहिए।

11. उक्त कार्य को निष्पादित करते समय सावधानी बरती जाएगी। यदि कुछ भी क्षतिग्रस्त होता है, तो उसे बिना किसी अतिरिक्त लागत के ठीक किया जाएगा।

12. जहां भी सामग्री के लिए मूल दर निर्दिष्ट की गई है, ठेकेदार को बैंक के सत्यापन के लिए सभी भुगतान किए गए बिल प्रस्तुत करने चाहिए। कीमत में समायोजन केवल मापी गई मात्रा पर किया जाएगा। लागत अंतर पर कोई ओवरहेड और लाभ नहीं माना जाएगा। उद्धृत दर में साइट के लिए परिवहन, भंडारण और हैंडलिंग आदि शामिल होंगे।

13. बैंक को खरीद/निर्माण से पहले सभी सामग्रियों, सहायक उपकरणों/फिनिश के नमूने तैयार करने के लिए ठेकेदार की आवश्यकता होगी। बैंक का इंजीनियर कार्य के लिए सामग्री के नमूनों को मंजूरी देगा। इन निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप कार्य की अस्वीकृति हो सकती है।

14. बोलीदाता को ध्यान देना चाहिए कि उसे भवन के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचाए बिना और मौजूदा रहने वालों को परेशान किए बिना अपने हिस्से के काम को निष्पादित करना चाहिए। इस तरह से हुए किसी भी नुकसान की भरपाई बोलीदाता की लागत और जोखिम पर की जाएगी।

15. बोलीदाता को ध्यान देना चाहिए कि अनुसूची में प्रत्येक आइटम का वर्णन करने वाले निविदा चित्र और अन्य दस्तावेज केवल सांकेतिक प्रकृति के हैं और इन्हें विस्तार और फिनिश में पूर्ण नहीं माना जा सकता है। यह उम्मीद की जाती है कि बोलीदाता को निविदा चित्र और विशिष्टताओं के इरादे को समझना चाहिए और उच्च मानकों के उत्पाद को वितरित करने के लिए सामग्री, कारीगरी, फिनिश और सहायक उपकरण उचित रूप से प्रदान करना चाहिए। बैंक ब्रांड, सामग्री, कारीगरी, विवरण और खत्म के चयन पर जोर देने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे वे मानते हैं कि इच्छित उपयोग के लिए उपयुक्त और उपयुक्त हैं। ठेकेदार इस खाते पर अतिरिक्त दावा करने के लिए पात्र नहीं है। इस स्थिति को समझने में विफलता के लिए बाद की तारीख में ठेकेदार के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। सामग्री की गुणवत्ता, कार्य के प्रकार, कारीगरी, फिनिश आदि के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

16. सफल ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि वह इंस्टॉलेशन के दौरान और उसके बाद अपनी सामग्री की सुरक्षा करे, और उसे अच्छी हालत में, बैंक की संतुष्टि के अनुसार, बैंक को सौंप दे। सामग्री सौंपते समय, यदि कोई टूट-फूट, खरोंच, डेंट, या ऐसी ही कोई अन्य खराबी दिखाई देती है, तो ठेकेदार उसे बैंक की संतुष्टि के अनुसार, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, दिए गए निर्देशों के अनुसार ठीक करवाएगा।



17. सफल बोलीदाताओं में उद्धृत मूल्य में सभी संबद्ध सिविल कार्य जैसे कि फ्रेम, विभाजन का समर्थन करने के लिए दीवार में चेसिंग, ड्रिलिंग होल आदि शामिल होंगे, ग्राउटिंग के बाद सतह को अच्छा बनाएं, डबल मचान आदि शामिल होंगे।
18. सफल ठेकेदार अपनी सभी सामग्रियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होगा और काम के अपने हिस्से सहित कामकाजी भवन में हर समय आग से बचाव के कदम सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।
19. ठेकेदार को जनशक्ति और संसाधनों की योजना बनाने और उन्हें इस तरह से व्यवस्थित करने की आवश्यकता होगी कि पूरा कार्य निर्धारित अवधि के भीतर पूरा हो जाए।
20. कार्यालय में रहने वालों को परेशान किए बिना कार्य को चरणों में (यदि आवश्यक हो) किया जा सकता है। क्षेत्र की आवश्यक बैरिकेडिंग, यदि शेष क्षेत्र से आवश्यक हो, तो सफल ठेकेदार द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत के व्यवस्था की जानी चाहिए।
21. ठेकेदार काम के निष्पादन के दौरान हर समय एक योग्य और अनुभवी पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति करेगा। साइट पर बिना निगरानी के कोई काम नहीं किया जाएगा।
22. ठेकेदार अनुमोदित प्रारूप में कार्य आदेश जारी करने की तारीख से 10 दिनों के भीतर साइट प्रभारी/पर्यवेक्षक और उसके अधिकृत प्रतिनिधि के नाम और व्यक्तिगत विवरण उनकी भूमिका, जिम्मेदारियों और अधिकार (पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रलेखन, माप, माप पर हस्ताक्षर करने, माप पुस्तिका, पत्राचार, बैंक से निर्देश प्राप्त करने आदि के संबंध में) प्रस्तुत करेगा।
23. सभी बोलीदाता एक विस्तृत बार चार्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कार्य में शामिल विभिन्न प्रमुख गतिविधियों और उनकी अपेक्षित पूर्णता अवधि का विवरण होगा, जिसमें काम के निर्धारित प्रारंभ से शुरू होने वाली समानांतर और अनुक्रमिक गतिविधियों को निर्दिष्ट किया गया होगा ताकि निविदा के भाग- 1 के साथ निविदा निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरे कार्य को पूरा किया जा सके। बोलीदाताओं को नियोजित कार्यक्रम के अनुरूप उपरोक्त उद्देश्य के लिए उनके द्वारा योजना के अनुसार जनशक्ति/श्रम की अनुमानित तैनाती का भी उल्लेख करना होगा। कार्य सौंपने के बाद, ठेकेदार को सूक्ष्म योजना बनाने की आवश्यकता होगी और कार्य की प्रगति की उचित योजना, निगरानी और समीक्षा के लिए कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर विस्तृत अनुसूची/बार चार्ट प्रस्तुत किया जाएगा।
24. कार्य की प्रगति की समीक्षा बैंक द्वारा पाक्षिक आधार पर की जाएगी। बैठक साइट पर या बैंक के मुख्य कार्यालय भवन में आयोजित की जा सकती है। बैठक में ठेकेदार स्वयं (स्वामित्व फर्म के मामले में) या साझेदारी फर्म/लिमिटेड कंपनी के मामले में अधिकृत भागीदार / वरिष्ठ अधिकारी के साथ-साथ ठेकेदार के साइट प्रभारी को भाग लेना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, ठेकेदार निम्नलिखित को दर्शाते हुए एक प्रगति रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा:
एक. पिछले पखवाड़े की प्रगति और अगले पखवाड़े के लिए योजना के साथ-साथ प्रगति पर चल रहे कार्य की कुछ तस्वीरें और पखवाड़े के दौरान प्राप्त सामग्री और अगले पखवाड़े के दौरान प्राप्त होने की उम्मीद है।



दो. नियोजित समय-सारणी में प्रमुख विचलन के कारण तथा प्राप्त वास्तविक प्रगति तथा बैंक से अपेक्षित किसी भी बाधा/निर्णय के बारे में जानकारी ।

तीन. लंबी लीड वाली वस्तुओं के लिए खरीद कार्यक्रम

चार. विविधताएं/अतिरिक्त आइटम स्टेटमेंट

पाँच. पखवाड़े के दौरान किए गए विभिन्न परीक्षणों और अगले पखवाड़े के लिए नियोजित विभिन्न परीक्षणों को दशनि वाला विवरण।

25. ठेकेदार साइट पर निम्नलिखित रजिस्टर/दस्तावेज/विवरण बनाए रखेगा और उन्हें नियमित आधार पर अपडेट रखेगा। कार्य पूरा होने के बाद इन रजिस्ट्रों/दस्तावेजों को बैंक को सौंप दिया जाएगा:

एक. बैंक के अनुमोदित प्रारूप में बाधा रजिस्टर

दो. साइट निर्देश पुस्तिका (डुप्लिकेट में)

तीन. अनुबंध की प्रमाणित सच्ची प्रति

चार. डिलीवरी चालान की प्रतियों के साथ सामग्री रसीद रजिस्टर

पाँच. उन सभी बिलों की प्रतियां जिनके लिए मूल दर निविदा में निर्दिष्ट है

छः. लेबर का दैनिक उपस्थिति रजिस्टर

सात. विस्तृत अनुसूची/बार चार्ट को मंजूरी दी गई है और इसके संशोधनों, यदि कोई हो, को मंजूरी दी गई है।

आठ. पाक्षिक प्रगति समीक्षा बैठकों के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए

नौ. अतिरिक्त आइटम/भिन्नता/विचलन वस्तुओं के लिए पंजीकरण करें

दस. निर्माता / प्रयोगशाला से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट / प्रमाण पत्र की प्रतियों के साथ सामग्री परीक्षण रजिस्टर।

26. बैंक द्वारा बिलों का भुगतान बैंक द्वारा बिलों का भुगतान कार्य के सफल निष्पादन के बाद और सभी प्रकार से पूर्ण बिलों को प्रस्तुत करने के बाद किया जाएगा। बैंक का यह प्रयास होगा कि बिलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। वर्चुअल समापन और बैंक के इंजीनियर द्वारा संतोषजनक कार्य के प्रमाणन के बाद 3 महीने के भीतर अंतिम बिल का भुगतान किया जाएगा।

27. ठेकेदार अनुलग्नक में दिए गए अनुसार प्रथम गुणवत्ता वाली सामग्री के केवल अनुमोदित ब्रांडों का उपयोग करेगा। भाग-1 में बोलीदाता द्वारा इंगित किए गए ऐसे किसी भी विकल्प के अभाव में, ठेकेदार को बैंक के निर्देशों के अनुसार सामग्री का उपयोग करना आवश्यक होगा।

28. ठेकेदार को निर्माता के प्राधिकृत तकनीकी अधिकारी की सेवाओं की व्यवस्था करनी होगी जिनकी सामग्री परियोजना कार्य के लिए बैंक द्वारा चयन/अनुमोदित की गई है जो साइट पर आपूर्ति/उपलब्ध सामग्री और इसके उपयोग/आवेदन की विधि का निरीक्षण करेगा और निर्माता के लेटरहेड पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, आधिकारिक मुहर के तहत, सामग्री की वास्तविकता या अन्यथा को इंगित करता है और क्या सामग्री का उपयोग निर्माता के विनिर्देशों और निर्दिष्ट उपभोग मानकों के अनुसार किया जा रहा है।

29. सफल बोलीदाता ग्लेज़िंग, वाहनों, रहने वालों आदि की सुरक्षा के लिए कार्य क्षेत्र को प्लाई-बोर्ड/निर्माण जाल आदि के साथ उपयुक्त रूप से बैरिकेडिंग/कवर करके सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा। सफल बोलीदाता को विशिष्ट स्थानों पर उचित खतरा/सावधानी नोटिस बोर्ड भी प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

30. बोलीदाता अनुबंध के उपरोक्त सभी निर्देशों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए अपनी दरों का उल्लेख करेंगे।

स्थान:

ठेकेदार का नाम:

दिनांक:

पता:

ठेकेदार का हस्ताक्षर और मुहर:



सुरक्षा कोड

एक. निष्फल ड्रेसिंग और रूई की पर्याप्त आपूर्ति सहित प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों को आसानी से सुलभ स्थान पर रखा जाएगा।

दो. एक घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सार्वजनिक अस्पताल ले जाया जाएगा, ऐसे मामलों में जहां चोट के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है।

तीन. उन सभी कार्यों के लिए श्रमिकों के लिए उपयुक्त और मजबूत डबल मचान प्रदान किए जाने चाहिए जो जमीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते हैं।

चार. कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (स्पष्ट) से कम नहीं होनी चाहिए और दो आसन्न पायदानों के बीच की दूरी 30 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मजदूर लगाया जाएगा।

पाँच. खुदाई की गई सामग्री को खाई के किनारे के 1.5 मीटर या खाई की गहराई के आधे हिस्से के भीतर, जो भी अधिक हो, नहीं रखा जाएगा। सभी खाइयों और खुदाई को आवश्यक बाड़ और प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जाएगी।

छः. किसी भवन के तल पर या कार्य मंच में प्रत्येक उद्घाटन को उपयुक्त बाड़ या रेलिंग प्रदान करके व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त साधन प्रदान किए जाएं जिनकी न्यूनतम ऊंचाई एक मीटर होगी।

सात. संरचना का कोई भी फर्श, छत या अन्य भाग मलबे या सामग्री से इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि यह असुरक्षित हो जाए।

आठ. डामर, सीमेंट मोर्टार, कंक्रीट और चूने के मोर्टार जैसी सामग्री के मिश्रण और हैंडलिंग पर कार्यरत श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के हाथ के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।

नौ. वेल्डिंग कार्यों में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षात्मक आई-शील्ड और दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।

दस. i) पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप को छोड़कर सीसा या सीसा उत्पादों वाले किसी भी पेंट का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(ii) श्रमिकों द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त फेसमास्क की आपूर्ति की जानी चाहिए जब पेंट स्प्रे के रूप में लगाया जाता है या सतह जिसमें लेड पेंट सूखा, रगड़ और स्क्रेप किया जाता है।

एक. ठेकेदार द्वारा चित्रकारों को चौगा की आपूर्ति की जाएगी और काम करने वाले चित्रकारों को काम की समाप्ति की अवधि के दौरान धोने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

दो. कार्यों में उपयोग की जाने वाली मशीनें और टैकल, जिसमें उनके संलग्नक और समर्थन शामिल हैं, सही स्थिति में होंगे।
तीन. सामग्री को फहराने या कम करने या निलंबन के साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली रस्सियाँ टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त ताकत की होंगी और दोषों से मुक्त होंगी।



चार. सभी श्रमिकों को सुरक्षा बेल्ट, सुरक्षा जूते और हेलमेट प्रदान किए जाएंगे। किसी भी कामगार को सुरक्षा हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट के बिना मचान पर काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विद्युत सुरक्षा

एक. सभी श्रमिकों, पर्यवेक्षकों को भवन में कार्य करते समय उचित पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण) पहनना चाहिए। विद्युत सुरक्षा जूते और सुरक्षा हेलमेट अनिवार्य है, अन्यथा, काम/संबंधित श्रमिकों को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दो. कार्य के लिए आवश्यक विद्युत शक्ति केवल साइट पर उपलब्ध अधिकृत आपूर्ति बिंदुओं से ही खींची जा सकती है। ठेकेदार को आपूर्ति को अपेक्षित स्थिति में ले जाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए। ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी व्यवस्थाओं में उचित ईएलसीबी/आरसीसीबी/आरसीबीओ (अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन डिवाइस) उपकरण के साथ उपयुक्त लंबाई के इलेक्ट्रिक केबल/एक्सटेंशन बोर्ड शामिल होने चाहिए। अधिमानतः जोड़ों से बचना चाहिए, और यदि अनिवार्य रूप से आवश्यक है, तो सभी आवश्यक जोड़ों को ठीक से अछूता रखा जाना चाहिए। ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जब काम चल रहा हो तो पूरे कार्य स्थल को हर समय ठीक से रोशन किया जाए। बिजली से संबंधित सभी कार्य एक अधिकृत इलेक्ट्रीशियन द्वारा किए जाएंगे। वायर्ड लाइट फिटिंग को फॉल्स सीलिंग आदि के ऊपर जैसे दुर्गम क्षेत्रों में नहीं ले जाया जाना चाहिए और इसके बजाय पोर्टेबल बैटरी से चलने वाली चार्जिंग लाइट का उपयोग किया जाना चाहिए

तीन. कार्य स्थल के उचित स्थानों पर अच्छी मात्रा में आवश्यक बैरिकेडिंग और साइनेज बोर्ड लगाए जाएंगे।

चार. जब भी लिफ्टों, बिजली के पैनलों आदि के लिए रखरखाव का काम होता है, तो उल्टे वी प्रकार के साइनेज को "अंडर मेंटेनेंस - संपदा डिपार्टमेंट" दिखाते हुए रखा जाएगा।

पाँच. एएमसी कार्यों सहित सभी कार्यों में बीमा पॉलिसियां होनी चाहिए और उनका उचित रखरखाव किया जाना चाहिए।

छः. विद्युत सुरक्षा के संदर्भ में क्या करें और क्या न करें सभी श्रमिकों के साथ साझा किए जाएंगे।

सात. ठेकेदारों को विद्युत सुरक्षा के बारे में अपने श्रमिकों के साथ समय-समय पर ब्रीफिंग करनी चाहिए।

आठ. स्टील की सीढ़ियों के पैरों पर उचित रबर इन्सुलेशन होना चाहिए। और यदि आवश्यक हो, तो इन सीढ़ियों को विद्युत सुरक्षा रबर मैट पर रखा जाएगा और फिर बिजली के झटके को रोकने के लिए उनका उपयोग किया जाएगा।

नौ. निर्माण/नवीनीकरण कार्यों, कार्यालय भवन आदि के लिए विद्युत सुरक्षा सहित औद्योगिक सुरक्षा प्रशिक्षण समय-समय पर एलएंडटी प्रशिक्षण केंद्र आदि जैसे पेशेवरों/विशेषज्ञों द्वारा ठेकेदारों, श्रमिकों, तकनीकी और सामान्य कर्मचारियों आदि को दिया जा सकता है।

स्थान:

ठेकेदार का नाम और पता: तिथि:

ठेकेदार का हस्ताक्षर और मुहर:



इसके बाद उल्लिखित शर्तें

1. **व्याख्या खंड:** इन शर्तों को मानने में, विनिर्देशों, मात्राओं की अनुसूची और अनुबंध समझौते, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ यहां उन्हें सौंपे गए होंगे, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता होती है।

2. "नियोक्ता": से तात्पर्य भारतीय रिज़र्व बैंक से होगा और इसमें इसके समनुदेशिती तथा उत्तराधिकारी शामिल होंगे।

3. **साझेदारी के मामले में "ठेकेदार":** "ठेकेदार" का अर्थ होगा _____ तथा _____ के नाम और शैली में भागीदारों के रूप में व्यापार _____ और व्यवसाय का स्थान होना _____ और उक्त फर्म के कुछ समय के लिए भागीदारों और मृत भागीदार के कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल करेगा।

व्यक्ति के मामले में: "ठेकेदार" का अर्थ श्री होगा _____ में व्यापार का नाम _____ और इसमें उसके उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी और कानूनी शामिल होंगे प्रतिनिधि।

कंपनी के मामले में: "ठेकेदार" का अर्थ होगा _____ इसके अंतर्गत निगमित कंपनी _____ और इसका पंजीकृत कार्यालय _____ और इसमें इसके उत्तराधिकारी और असाइन शामिल होंगे।

4. **"साइट":** अनुबंध कार्यों की साइट का अर्थ होगा जिसमें कोई भी भवन और निर्माण शामिल है और कोई अन्य भूमि (समावेशी) जैसा कि ठेकेदार के उपयोग के लिए नियोक्ता द्वारा आवंटित किया गया है।

5. **"यह अनुबंध":** का अर्थ होगा समझौते के लेख, विशेष शर्तें, शर्तें, परिशिष्ट, मात्रा और विशिष्टताओं की अनुसूची इससे जुड़ी और विधिवत हस्ताक्षरित है।

6. **"लिखित सूचना":** का अर्थ होगा अंतिम ज्ञात निजी या व्यवसायिक पते या पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत डाक द्वारा लिखित, टाइप या मुद्रित अक्षरों में भेजा गया नोटिस (जब तक व्यक्तिगत रूप से वितरित न किया गया हो या अन्यथा प्राप्त होने का प्रमाण न दिया गया हो) और इसे प्राप्त माना जाएगा जब डाक के सामान्य क्रम में इसे वितरित किया गया होगा।

7. **"दिवाला अधिनियम":** का अर्थ होगा दिवाला का कोई भी अधिनियम जैसा कि प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेंसी एक्ट, या प्रांतीय दिवाला अधिनियम या ऐसे मूल अधिनियम में संशोधन करने वाले किसी भी अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है।

8. **"शुद्ध कीमतें":** यदि अनुबंध राशि तय करते समय, ठेकेदार ने टेंडर में दी गई मदों के कुल योग में कोई राशि, चाहे वह प्रतिशत के रूप में हो या किसी अन्य रूप में, जोड़ी हो या घटाई हो, तो टेंडर में किसी भी मद की शुद्ध कीमत वह राशि होगी जो उस मद की कीमत के रूप में टेंडर में दिखाई गई वास्तविक संख्या में से, उसी प्रतिशत या आनुपातिक राशि को जोड़कर या घटाकर प्राप्त की जाती है; बशर्ते कि ठेकेदार द्वारा जोड़ी या घटाई गई राशि के प्रतिशत या अनुपात को निर्धारित करते समय, किसी भी 'प्राइम कॉस्ट' मदों और धन की अनंतिम राशियों की कुल राशि को टेंडर की कुल राशि में से घटा दिया जाएगा। जब अनुबंध या खातों के संदर्भ में "शुद्ध दरें" या "शुद्ध कीमतें" शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो उनका अर्थ उन दरों या कीमतों से माना जाएगा जो इस प्रकार प्राप्त की गई हैं।

"कार्यो" का अर्थ होगा "मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई गुवाहाटी की दूसरी मंजिल पर निर्गम विभाग का नवीनीकरण, जैसा कि यहां प्रदान किया गया है।

व्यक्तियों को प्रदान करने वाले शब्दों में फर्म और निगम शामिल हैं। एकवचन प्रदान करने वाले शब्दों में केवल बहुवचन भी शामिल है और इसके विपरीत जहां संदर्भ की आवश्यकता होती है।

9. ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसार और नियोक्ता के निर्देश के साथ और उसकी संतुष्टि के लिए हर तरह से उक्त कार्य को पूरा करेगा और पूरा करेगा। नियोक्ता अपने पूर्ण विवेक में और समय-समय पर आगे के चित्र और/या लिखित निर्देश, विवरण, निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से "नियोक्ता के निर्देश" के रूप में संदर्भित किया जाता है:

- a) डिजाइन, गुणवत्ता या कार्यो की मात्रा में भिन्नता या संशोधन या किसी भी कार्य का जोड़ या चूक या प्रतिस्थापन।
- b) चित्र में या मात्रा और/या चित्र और/या विशिष्टता की अनुसूची के बीच कोई विसंगति।
- c) ठेकेदार द्वारा उस पर लाई गई किसी भी सामग्री को साइट से हटाना और इसलिए किसी अन्य सामग्री का प्रतिस्थापन।
- d) ठेकेदार द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य को हटाना और/या पुनः निष्पादन।
- e) उस पर नियोजित किसी भी व्यक्ति के कार्यो से बर्खास्तगी।
- f) किसी भी कार्य के निरीक्षण के लिए खुले स्थान को कवर किया गया।
- g) इसमें किसी भी दोष को संशोधित करना और उसे ठीक करना।

10. ठेकेदार तुरंत ऐसे नियोक्ता के निर्देशों, निर्देशों और नियोक्ता द्वारा कार्यो पर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को दिए गए स्पष्टीकरण में शामिल किसी भी कार्य का पालन करेगा और विधिवत निष्पादित करेगा, यदि कोई भिन्नता शामिल है, तो ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी, और यदि नियोक्ता द्वारा अगले सात दिनों के भीतर लिखित रूप में असहमति नहीं व्यक्त की जाती है, ऐसे अनुबंध के दायरे में नियोक्ता के निर्देश माने जाएंगे।

नियोक्ता द्वारा दिन-प्रतिदिन के निर्देशों को दर्ज करने के उद्देश्य से, ठेकेदार अपनी लागत पर, तीन प्रतियों में एक "साइट निर्देश पुस्तिका" बनाए रखेगा जिसमें नियोक्ता द्वारा निर्देश दर्ज किए जाएंगे और ठेकेदार के प्रभारी इंजीनियर द्वारा बनाए रखा जाएगा। ठेकेदार को निर्देश नियोक्ता के इंजीनियरों के माध्यम से जारी किए जाएंगे।



अनुबंध के दायरे में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है:

- घटक आपूर्तिकर्ताओं के काम का समन्वय, समय-निर्धारण और प्रबंधन,
- तकनीकी विशिष्टताओं में निर्दिष्ट सामग्री प्रदान करें।
- निर्दिष्ट सभी मदों को इकट्ठा करना, स्थापित करना और चालू करना और काम पूरा होने के बाद नियोक्ता को स्वच्छ स्थिति में निर्दिष्ट रूप से सौंपना।

ठेकेदार के कर्तव्य: ठेकेदार के कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल हैं;

- निर्दिष्ट कार्यों के उचित निष्पादन और पूरा करने के लिए आवश्यक श्रम, सामग्री और उपकरण, उपकरण और अन्य सुविधाओं और सेवाओं के लिए प्रदान करना और भुगतान करना।
- आवश्यक परमिट के लिए सुरक्षित और भुगतान करें, वैधानिक कामगार का मुआवजा, बीमा, उचित निष्पादन और आवश्यक कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक लाइसेंस और लाइसेंस।
- आवश्यक नोटिस दें।
- कानूनी आवश्यकताओं से विनिर्देशों के देखे गए विचरण के नियोक्ता को तुरंत लिखित नोटिस सबमिट करें।
- ठेकेदारों के बीच सख्त अनुशासन और अच्छी व्यवस्था लागू करें। अकुशल व्यक्तियों को सौंपे गए कार्यों में नियोजित न करें। विविधताओं को नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

11. नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले बदलाव

ठेकेदार नियोक्ता को दरों, वाउचर आदि के विश्लेषण द्वारा विधिवत समर्थित मात्रा और दरों को दर्शाते हुए विविधताओं का एक विवरण प्रस्तुत करेगा। नियोक्ता द्वारा जांच और अंतिम स्वीकृति की दरें एक पूरक निविदा बनाएंगी। नियोक्ता इस तरह के संस्करणों के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि इन विवरणों को उसके द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है।

12. मात्रा और समझौते की अनुसूची

अनुबंध को डुप्लिकेट में निष्पादित किया जाएगा और नियोक्ता और ठेकेदार अपने उपयोग के लिए एक-एक निष्पादित प्रति के हकदार होंगे। इसके हस्ताक्षर पर ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा प्रत्येक विनिर्देश की एक प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

13. कार्य अनुक्रम:

सफल बोलीदाता कार्य अनुसूची तालिका में उसके द्वारा दिए गए समय सारणी में कार्यों को पूरा करने के लिए निविदा में सभी लागतों को शामिल करेगा। एक निविदा प्रस्तुत करके, ठेकेदार इस बात से सहमत होता है कि उन्होंने परियोजना विनिर्देशों और ड्राइंग की समीक्षा की है, साइट का दौरा किया है और अनुमोदित अनुसूची के अनुसार समग्र समय अवधि के अनुसार सभी कार्यों को पूरा करेंगे। निर्धारित समय सीमा आगे बढ़ने के लिए एक नोटिस के बाद शुरू होती है, या नियोक्ता से अनुबंध प्राप्त होता है। ठेकेदार परियोजना के आवंटन से पहले, कार्य कार्य अनुसूची के अनुसार अनुमोदित समय सीमा के अनुसार एक विस्तृत परियोजना अनुसूची प्रदान करेगा।



14. ठेकेदार द्वारा संपत्ति का उपयोग: कार्य स्थल एक कब्जे वाली इमारत है। ठेकेदार द्वारा संपत्ति का उपयोग निम्नलिखित के अधीन होगा:

- a) साइट पर संचालन को कानून, अध्यादेशों, परमिट, विशिष्टता और नियोक्ता के विशिष्ट निर्देशों द्वारा अनुमत क्षेत्रों तक सीमित करें।
- b) सामग्री या उपकरण के साथ साइट के अनुचित भार से बचा जाना चाहिए।
- c) संपत्ति पर या बाहर संग्रहीत उपकरणों और उत्पादों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए पूरी जिम्मेदारी लें।
- d) भंडारित उत्पादों को स्थानांतरित करना जो भवन के संचालन या अन्य ट्रेडों के संचालन में हस्तक्षेप करते हैं।
- e) संचालन के लिए आवश्यक अतिरिक्त भंडारण या कार्य क्षेत्रों के उपयोग के लिए प्राप्त करें और भुगतान करें

15. ठेकेदार अपनी लागत पर आवश्यक सभी चीजें प्रदान करेगा

ठेकेदार अपनी लागत पर मात्रा और विनिर्देशों के इरादे और अनुसूची के अनुसार कार्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करेगा, चाहे वह विशेष रूप से दिखाया या वर्णित न किया जा सकता है बशर्ते कि इसका यथोचित अनुमान लगाया जा सके, और यदि ठेकेदार को मात्रा और विनिर्देशों की अनुसूची में कोई विसंगति मिलती है, तो वह तुरंत और लिखित रूप में नियोक्ता को संदर्भित करेगा जो यह तय करेगा कि किसका पालन किया जाना है। ठेकेदार इस विनिर्देश के तहत सभी कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा विनियमों के अनुसार पूर्ण रूप से प्रदान करेगा।

16. सामान्य भवन कार्यों में कोई व्यवधान नहीं:

- a) यह काम एक कब्जे वाले कार्यालय भवन में निष्पादित किया जाना है। यह आवश्यक है कि ठेकेदार धूल और ढीली सामग्री से सुरक्षा, शोर में कमी, पानी और हवा की घुसपैठ से सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता देता है और भवन के अंदर और बाहर कार्य क्षेत्रों में और उसके आसपास साफ-सुथरी और व्यवस्थित स्थितियों के रखरखाव से संबंधित है। पैकेजिंग, स्क्रेप सामग्री और विध्वंस मलबे को दैनिक आधार पर इमारत और साइट से तुरंत हटा दिया जाएगा।
- b) यदि अनुबंध में ऐसे कार्य शामिल हैं, जो सामान्य व्यवसाय संचालन के दौरान विघटनकारी होंगे या भवन में रहने वालों के लिए खतरनाक होंगे, तो नियोक्ता के अनुसार घंटों के दौरान कार्य किए जाएंगे। ठेकेदार नियोक्ता द्वारा निर्धारित घंटों के दौरान ऐसा कार्य करेगा और अपनी निविदा में सभी लागतों को शामिल करेगा।
- c) ठेकेदार सामान्य भवन घंटों के दौरान 75 डीबी से कम शोर रखेगा। जब इससे ऊपर शोर पैदा करना आवश्यक हो, तो ठेकेदार नियोक्ता को ऐसी जरूरतों के बारे में सलाह देगा और निर्देश के अनुसार समय निर्धारित किया जाएगा। ठेकेदार किसी भी अत्यधिक शोर पैदा करने की प्रक्रिया का अनुमान लगाएगा और निविदा में इसके लिए एक भत्ता शामिल करेगा।
- d) ठेकेदार काम और नियोक्ता की संपत्ति की सुरक्षा के लिए उचित देखभाल करेगा।



17. प्राधिकरण नोटिस और पेटेंट

ठेकेदार कार्यों से संबंधित विधानमंडल के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होगा, और किसी भी प्राधिकरण के नियमों और उप-नियमों और किसी भी पानी, बिजली की आपूर्ति और अन्य कंपनियों और/या प्राधिकरणों के जिनके साथ संरचना को जोड़ने का प्रस्ताव है, और ड्राइंग या विनिर्देशों से कोई भी बदलाव करने से पहले जो इस तरह के अनुरूप होने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, नियोक्ता को लिखित नोटिस दिया गया, जिसमें प्रस्तावित बदलाव और इसे बनाने का कारण निर्दिष्ट किया गया और उस पर निर्देशों के लिए आवेदन किया गया। यदि ठेकेदार को दस दिनों के भीतर ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तो वह प्रश्न में प्रावधानों, विनियमों या उपनियमों के अनुरूप कार्य को आगे बढ़ाएगा, और इस प्रकार आवश्यक किसी भी बदलाव को इसके खंड 13 के तहत निपटाया जाएगा।

ठेकेदार नियोक्ता के ध्यान में उक्त अधिनियमों, विनियमों या उप-नियमों द्वारा अपेक्षित सभी नोटिसों को किसी भी प्राधिकरण को देगा और ऐसे प्राधिकारी, या किसी भी सार्वजनिक कार्यालय को सभी शुल्कों का भुगतान करेगा जो कार्यों के संबंध में उचित रूप से प्रभार्य हो सकते हैं, और नियोक्ता के साथ रसीदें दर्ज करें।

ठेकेदार पेटेंट अधिकारों के संबंध में सभी दावों के खिलाफ नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा, और इस तरह के दावों से उत्पन्न होने वाले सभी कार्यों का बचाव करेगा, और स्वयं सभी रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, क्षति, लागत और सभी और हर प्रकार के शुल्क का भुगतान करेगा जो कानूनी रूप से इसके संबंध में खर्च किए जा सकते हैं।

18. कार्य किया जाना

ठेकेदार कार्यों को निर्धारित करेगा और उसी से सही और सही सेटिंग के लिए और उसके सभी हिस्सों की स्थिति, एटीएस, आयाम और संरक्षण की शुद्धता के लिए जिम्मेदार होगा। यदि किसी भी समय इस संबंध में कोई त्रुटि कार्यों की प्रगति के दौरान या कार्यों के पूरा होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर दिखाई देगी, तो ठेकेदार, यदि आवश्यक हो, तो नियोक्ता की संतुष्टि के लिए अपने स्वयं के खर्च पर ऐसी त्रुटि को सुधरेगा।

19. विवरण के अनुरूप सामग्री और कारीगरी

सभी सामग्री और कारीगरी अब तक मात्रा और/या विनिर्देशों की अनुसूची में वर्णित संबंधित प्रकार की और नियोक्ता के निर्देशों के अनुसार होगी, और ठेकेदार नियोक्ता के अनुरोध पर उसे सभी चालान, खाते, रसीदें और अन्य वाउचर प्रदान करेगा ताकि यह साबित हो सके कि सामग्री इसका अनुपालन करती है। ठेकेदार अपनी लागत पर किसी भी सामग्री की व्यवस्था करेगा और/या किसी भी सामग्री का परीक्षण करेगा जिसकी नियोक्ता को आवश्यकता हो सकती है।

20. ठेकेदार का अधीक्षण और कार्यों पर प्रतिनिधि

ठेकेदार कार्यों के निष्पादन के दौरान सभी आवश्यक व्यक्तिगत अधीक्षण देगा, और उसके बाद जब तक नियोक्ता परिशिष्ट में बताए गए "दोष देयता अवधि" की समाप्ति तक आवश्यक मान सकता है। ठेकेदार पूरे समय के दौरान भी काम प्रगति पर होगा, एक सक्षम प्रतिनिधि को नियुक्त करेगा जो काम पर पुरुषों के काम पर लगातार उपस्थिति में रहेगा। नियोक्ता द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए किसी भी निर्देश, स्पष्टीकरण, निर्देश या नोटिस को ठेकेदार को दिया गया माना जाएगा।

21. कामगारों की बर्खास्तगी

ठेकेदार नियोक्ता के अनुरोध पर, उसके द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को तुरंत कार्यों से बर्खास्त कर देगा, जो नियोक्ता की राय में अक्षम हो सकता है या स्वयं कदाचार कर सकता है और ऐसे व्यक्तियों को नियोक्ता की अनुमति के बिना कार्यों

पर फिर से नियोजित नहीं किया जाएगा।

22. कार्यों तक पहुंच

नियोक्ता, और उनके सम्मानित/प्रतिनिधियों को हर समय काम और/या कार्यशालाओं, कारखानों या अन्य स्थानों तक मुफ्त पहुंच होगी जहां सामग्री पड़ी हुई है या जहां से वे प्राप्त किए जा रहे हैं और ठेकेदार नियोक्ता को हर सुविधा देगा, और उनके प्रतिनिधि को निरीक्षण और जांच और सामग्री और कारीगरी के परीक्षण के लिए आवश्यक है। सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को छोड़कर, नियोक्ता द्वारा अधिकृत नहीं किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कार्यों पर अनुमति नहीं दी जाएगी।

23. कनिष्ठ अभियंता/सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी)/सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी) सहायक महाप्रबंधक (ईडी)

"जूनियर इंजीनियर" / "सहायक प्रबंधक (तकनीकी)" / "सहायक प्रबंधक (ईडी)"/ "सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी)"/"सहायक महाप्रबंधक (ईडी)" शब्द का अर्थ होगा वह व्यक्ति जिसे नियोक्ता द्वारा कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त और भुगतान किया गया है। ठेकेदार सहायक प्रबंधक / प्रबंधक को कार्यों और सामग्रियों का निरीक्षण करने और जांच और मापने के लिए हर सुविधा और सहायता प्रदान करेगा।

कनिष्ठ अभियंता/सहायक प्रबंधक (तकनीकी), या किसी प्रतिनिधि या नियोक्ता को ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को किसी भी कार्य या सामग्री का अनुमोदन न करने के निर्देश देने होंगे और इस तरह के कार्य को निलंबित कर दिया जाएगा या ऐसी सामग्री का उपयोग तब तक बंद कर दिया जाएगा जब तक कि नियोक्ता का निर्णय प्राप्त नहीं हो जाता। कनिष्ठ अभियंता/सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या नियोक्ता के प्रतिनिधि द्वारा समय-समय पर कार्य की जांच की जाएगी, लेकिन इस तरह की परीक्षा किसी भी तरह से ठेकेदार को किसी भी दोष को दूर करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो कार्यों के किसी भी चरण में या उसके पूरा होने के बाद मौजूद पाई जा सकती है। इस खंड की सीमा के अधीन, ठेकेदार केवल नियोक्ता से निर्देश लेगा।

24. असाइनमेंट और सब-लेटिंग

अनुबंध में शामिल सभी कार्यों को ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाएगा और ठेकेदार नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना अनुबंध या उसके किसी भी हिस्से को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित नहीं करेगा, असाइन नहीं करेगा या उसमें कोई भी हित नहीं देगा, और कोई भी उपक्रम ठेकेदार को अनुबंध की पूर्ण और पूरी जिम्मेदारी से या उनकी प्रगति के दौरान कार्यों के सक्रिय अधीक्षण से राहत नहीं देगा।



25. परिवर्तन/जोड़/चूक आदि।

कोई परिवर्तन, चूक या भिन्नता इस अनुबंध को दूषित नहीं करेगी, लेकिन यदि नियोक्ता कार्यों की प्रगति के दौरान किसी भी समय उचित समझता है, तो कार्यों में कोई परिवर्तन, या परिवर्धन, या चूक करना, या उसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री के प्रकार या गुणवत्ता में कोई परिवर्तन करना और ठेकेदार को अपने हाथ के तहत लिखित रूप में नोटिस देगा, ठेकेदार इस तरह के नोटिस के अनुसार, जैसा भी मामला हो, बदलेगा, जोड़ेगा या छोड़ देगा, लेकिन ठेकेदार कोई भी अतिरिक्त काम नहीं करेगा या नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना अनुबंध, शर्त, विनिर्देशों के किसी भी प्रावधान से कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन या चूक नहीं करेगा और इस तरह के अतिरिक्त के मूल्य के बिना, परिवर्तन, परिवर्धन या चूक सभी मामलों में नियोक्ता द्वारा इसके खंड 27 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाएगी, और इसे अनुबंध राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा, जैसा भी तदनुसार मामला हो।

26. मात्राओं की अनुसूची

मात्राओं की अनुसूची, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, माप की मानक विधि के अनुसार तैयार की गई मानी जाएगी।

मात्रा की अनुसूची से विवरण या मात्रा में या वस्तुओं की चूक में कोई भी त्रुटि इस अनुबंध को खराब नहीं करेगी, लेकिन इसे ठीक किया जाएगा और उसके मूल्य को अनुबंध राशि (जैसा भी मामला हो) से जोड़ा या घटाया जाएगा, बशर्ते कि ठेकेदार की दरों की अनुसूची में कोई सुधार या त्रुटियां, यदि कोई हो, की अनुमति नहीं दी जाएगी।

27. मात्राओं की अनुसूची की पर्याप्तता

ठेकेदार को निविदा देने से पहले कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता के बारे में खुद को संतुष्ट माना जाएगा और मात्रा की अनुसूची और/या दरों और कीमतों की अनुसूची में बताई गई कीमतों के बारे में जो दरें और कीमतें अनुबंध के तहत उसके सभी दायित्वों को कवर करेंगी, और काम के उचित समापन के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को कवर करेंगी।

28. कार्यों का मापन

कार्यों के माप लेने और रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

1. माप को ठेकेदार द्वारा पहली बार में कम्प्यूटरीकृत प्रारूप में दर्ज और दर्ज किया जाएगा, और एक हार्ड कॉपी विभाग को प्रस्तुत की जाएगी। सभी प्रविष्टियां पारंपरिक एमबी रिकॉर्ड करने के लिए मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।
2. इन मापों की 100% जांच कनिष्ठ अभियंता/एएम (तकनीकी) द्वारा की जाएगी। यदि कनिष्ठ अभियंता/एएम (तकनीकी) उपलब्ध नहीं है, तो एएम (तकनीकी)/एमजीआर (तकनीकी) माप की 100% जांच करेगा। ठेकेदार अपने मसौदे के कम्प्यूटरीकृत माप में ऐसे सभी परिवर्तनों या सुधारों को शामिल करेगा, जो इन जांचों के दौरान किए जा सकते हैं और विभाग को, पृष्ठ मशीन संख्या के साथ विधिवत हार्ड बाइंड की गई एक पुस्तक के रूप में, सुधारे गए कम्प्यूटरीकृत माप प्रस्तुत करेगा। इस कम्प्यूटरीकृत एमबी के सभी पृष्ठों पर ठेकेदार के अधिकृत अधिकारी और बैंक के अधिकारी के नाम और पदनाम के साथ पूर्ण हस्ताक्षर होंगे।



3. इन कम्प्यूटरीकृत मापों की परीक्षण जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा मौजूदा निर्देशों के अनुसार की जाएगी। इस पुस्तक को कम्प्यूटरीकृत मापन पुस्तक के रूप में माना जाएगा।
4. ठेकेदार द्वारा दिए गए कम्प्यूटरीकृत एमबी, विधिवत बंधे हुए, इसके पृष्ठों को मशीन से क्रमांकित किया गया है, इसमें कोई कटिंग या ओवर-राइटिंग नहीं होगी। किसी भी त्रुटि के मामले में, कम्प्यूटरीकृत एमबी रद्द कर दिया जाएगा और ठेकेदार सभी सुधारों को शामिल करते हुए एक नया कम्प्यूटरीकृत एमबी फिर से जमा करेगा। यह भुगतान के लिए विभाग को संबंधित बिल प्रस्तुत करने से पहले किया जाना चाहिए।
5. संबंधित अधिकारी कम्प्यूटरीकृत एमबी में मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार अपनी जांच और परीक्षण जांच के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र रिकॉर्ड करेंगे। यह संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने प्रमाण पत्र रिकॉर्ड करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि सभी सुधारों को कम्प्यूटरीकृत एमबी में शामिल किया गया है।
6. कम्प्यूटरीकृत एमबी को बैंक द्वारा ठेकेदार को दिए जाने वाले कम्प्यूटरीकृत एमबी के रजिस्टर के अनुसार एक सीरियल नंबर आवंटित किया जाएगा।
7. अंतिम रूप से कम्प्यूटरीकृत एमबी के सभी पृष्ठों पर ठेकेदार के अधिकृत अधिकारी और बैंक के अधिकारी की तारीख के साथ नाम और पदनाम के साथ पूर्ण हस्ताक्षर होंगे।
8. सभी माप विनिर्देशों में विस्तृत माप के तरीके के अनुसार लिए जाएंगे। यदि ठेकेदार उपस्थित नहीं होता है या माप लेने के लिए उपेक्षा या छोड़ नहीं देता है, तो बैंक के इंजीनियर या उसके द्वारा अनुमोदित व्यक्ति द्वारा लिए गए माप को कार्यो का सही माप माना जाएगा।

29. अतिरिक्त वस्तुओं के मूल्य आदि का पता लगाना

ठेकेदार, जब अधिकृत हो सकता है और नियोक्ता द्वारा लिखित रूप में निर्देशित किया जाता है, तो चित्र पर दिखाए गए कार्यो को जोड़ या छोड़ सकता है, या विनिर्देश में वर्णित है, या मात्रा की अनुसूची में शामिल कर सकता है, लेकिन ठेकेदार इस तरह के प्राधिकरण या निर्देश के बिना कोई जोड़, चूक या भिन्नता नहीं करेगा। नियोक्ताओं द्वारा एक मौखिक अधिकार या निर्देश यदि उनके द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जाती है, तो लिखित रूप में दिया गया माना जाएगा।

अतिरिक्त के लिए किसी भी दावे की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि इसे नियोक्ता के प्रावधानों के तहत या नियोक्ता के प्राधिकरण द्वारा निष्पादित नहीं किया गया हो। इस तरह के किसी भी अतिरिक्त को यहां अधिकृत अतिरिक्त के रूप में संदर्भित किया गया है और भुगतान निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा:

a(i) मूल निविदा में शुद्ध दरें या कीमतें अतिरिक्त कार्य का मूल्यांकन निर्धारित करेंगी जहां ऐसा अतिरिक्त कार्य समान चरित्र का है और समान परिस्थितियों में निष्पादित किया जाता है जहां कार्य की कीमत है। जहां भी संभव हो, सभी वस्तुओं के लिए दरें मात्रा की मूल्य सूची में दी गई दरों से प्राप्त की जानी चाहिए।



(ii) मूल निविदा की शुद्ध कीमतें छोड़ी गई वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करेंगी, बशर्ते कि यदि चूक उन शर्तों में भिन्न होती है जिनके तहत कार्यों की कोई शेष वस्तु की जाती है, तो उसी के लिए कीमतों का मूल्य उप-खंड (सी) के तहत किया जाएगा।

b) जहां अतिरिक्त कार्य समान चरित्र के नहीं हैं और/या पूर्वोक्त समान परिस्थितियों में निष्पादित किए गए हैं या जहां चूक उन शर्तों में भिन्न होती है जिनके तहत कार्यों की कोई शेष वस्तु की जाती है या यदि पूरे अनुबंध की राशि के सापेक्ष किसी भी चूक या परिवर्धन की राशि कार्य करती है या उसके किसी भी हिस्से में ऐसी होगी कि नियोक्ता की राय में, मात्रा या निविदा की मूल्य अनुसूची में निहित शुद्ध दर या मूल्य या कार्यों की किसी भी वस्तु के लिए ठेकेदार द्वारा यथोचित रूप से विचार किए गए नुकसान या व्यय से परे नुकसान या व्यय शामिल है या इस तरह की चूक या जोड़ के कारण अनुचित या अनुपयुक्त हो गया है, नियोक्ता ऐसी अन्य दर या मूल्य तय करेगा जैसा कि परिस्थितियों में वह नियोक्ता के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ उचित और उचित समझेगा।

c. जहां अतिरिक्त काम को ठीक से मापा या मूल्यवान नहीं किया जा सकता है, ठेकेदार को निविदा या मात्रा की मूल्य अनुसूची में बताई गई शुद्ध दरों के रूप में दिन के काम की कीमतों की अनुमति दी जाएगी या, यदि ऐसा नहीं कहा गया है, तो जिले के लिए स्थानीय दिन की कार्य दरों और मजदूरी के अनुसार बशर्ते कि किसी भी मामले में, दैनिक समय निर्दिष्ट करने वाले वाउचर (और यदि नियोक्ता द्वारा आवश्यक हो, श्रमिकों के नाम) और नियोजित सामग्री को नियोक्ता, या उसके प्रतिनिधि को सत्यापन के लिए सप्ताह के अंत में या उससे पहले वितरित किया जाना चाहिए जिसमें कार्य निष्पादित किया गया है।

d यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी सभी अधिकृत अतिरिक्त वस्तुओं के लिए जहां दरें निविदा से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं, ठेकेदार "वास्तविक लागत के आधार पर" काम किए गए दर विश्लेषण द्वारा समर्थित दरें प्रस्तुत करेगा, साथ ही स्थापना शुल्क, ठेकेदार के ओवरहेड और लाभ के लिए 15% प्रस्तुत करेगा। ऐसी वस्तुएं वृद्धि के लिए पात्र नहीं होंगी।

e अनुबंध के संबंध में माप और मूल्यांकन परिशिष्ट में उल्लिखित "अंतिम माप की अवधि" के भीतर पूरा किया जाएगा या यदि नहीं कहा गया है, तो अनुबंध कार्यों के पूरा होने के तीन महीने के भीतर पूरा होगा।

30. अनिश्चित सामग्री जब नियोक्ता की संपत्ति को ध्यान में रखा जाता है

जहां किसी भी प्रमाण पत्र में (जिसमें से ठेकेदार को भुगतान प्राप्त हुआ है) नियोक्ता ने किसी भी अनिश्चित सामग्री के मूल्य को शामिल किया है और/या कार्यों पर या उससे सटे हुए कार्यों के लिए ऐसी सामग्री नियोक्ता की संपत्ति बन जाएगी और उन्हें नियोक्ता के लिखित अधिकार के बिना, कार्यों पर उपयोग के अलावा नहीं हटाया जाएगा। ठेकेदार ऐसी सामग्रियों के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।

31. अनुचित कार्य को हटाना



नियोक्ता, कार्यों की प्रगति के दौरान, समय-समय पर ऐसे उचित समय या समय के भीतर कार्यों से हटाने का आदेश देने की शक्ति होगी, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है, किसी भी सामग्री के जो नियोक्ता की राय में, विनिर्देशों या नियोक्ता के निर्देशों के अनुसार नहीं हैं, उचित सामग्री का प्रतिस्थापन, और सामग्री के साथ निष्पादित किसी भी कार्य को हटाना और उचित पुनः निष्पादन, और कारीगरी विनिर्देशों या निर्देशों के अनुसार नहीं है, और ठेकेदार तुरंत अपनी लागत पर इस तरह के आदेश को पूरा करेगा। इस तरह के आदेश को पूरा करने के लिए ठेकेदार की ओर से चूक के मामले में, नियोक्ता के पास इसे पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियोजित करने और भुगतान करने की शक्ति होगी, और नियोक्ता द्वारा प्रमाणित के रूप में उस पर होने वाले सभी खर्च, या उसके आकस्मिक रूप से, ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा, या नियोक्ता द्वारा किसी भी देय धन से कटौती की जा सकती है, या वह ठेकेदार के कारण हो सकता है।

32. वर्चुअल पूर्ण होने के बाद दोष

कोई भी खराबी, सिकुड़न, बैठना या अन्य दोष जो इस दस्तावेज़ के परिशिष्ट में बताई गई "दोष दायित्व अवधि" के दौरान दिखाई दे सकते हैं—या यदि कोई अवधि नहीं बताई गई है, तो काम के असल में पूरा होने के बारह महीनों के भीतर—और जो नियोक्ता की राय में, अनुबंध के अनुसार न होने वाले मटीरियल या कारीगरी के कारण उत्पन्न हुए हों, उन्हें नियोक्ता के लिखित निर्देशों पर, और उन निर्देशों में बताई गई उचित समय सीमा के भीतर, ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर सुधारा और ठीक किया जाएगा। यदि ठेकेदार ऐसा करने में चूक करता है, तो नियोक्ता ऐसे दोषों, सिकुड़न, बैठने या अन्य खराबियों को सुधारने और ठीक करने के लिए अन्य व्यक्तियों को काम पर रख सकता है और उन्हें भुगतान कर सकता है; और इसके परिणामस्वरूप या इससे जुड़े सभी नुकसान, हानि और खर्चों की भरपाई ठेकेदार द्वारा की जाएगी और उन्हें ठेकेदार ही वहन करेगा। ऐसे नुकसान, हानि और खर्चों की वसूली नियोक्ता द्वारा ठेकेदार से की जा सकती है, या नियोक्ता उन्हें ठेकेदार को देय किसी भी राशि से—जो पहले से देय हो या भविष्य में देय होने वाली हो—काट सकता है। इसके अलावा, ठेकेदार द्वारा सुधार और मरम्मत किए जाने के बजाय, नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी राशि से एक निश्चित राशि काट सकता है (जिसका निर्धारण नियोक्ता स्वयं करेगा), जो ऐसे काम को सुधारने की लागत के बराबर हो; और यदि इस दस्तावेज़ के खंड 42 के तहत रोकी गई राशि अपर्याप्त पाई जाती है, तो नियोक्ता शेष राशि की वसूली ठेकेदार से करेगा, जिसमें इस संबंध में नियोक्ता द्वारा किए गए कोई भी अतिरिक्त खर्च भी शामिल होंगे। यदि काम पर लगाए गए ठेकेदार द्वारा कोई दोषपूर्ण काम किया गया हो या दोषपूर्ण मटीरियल की आपूर्ति की गई हो, तो ठेकेदार उसे सुधारने के लिए उत्तरदायी होगा और वह इस खंड तथा इस दस्तावेज़ के खंड 10 के प्रावधानों के अधीन होगा। इस खंड के प्रावधानों के तहत ठेकेदार का दायित्व तब भी बना रहेगा, भले ही नियोक्ता द्वारा कोई प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया हो या कोई हिसाब-किताब (खाते) पास कर दिए गए हों।

33. आभासी पूर्णता और दोष देयता अवधि का प्रमाण पत्र

कार्यों को तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि नियोक्ता लिखित रूप में प्रमाणित न कर दे कि काम लगभग पूरा हो गया है। दोष देयता अवधि ऐसे प्रमाण पत्र की तारीख से शुरू होगी।



34. नामित उप-ठेकेदार

सभी विशेषज्ञों, व्यापारियों, व्यापारियों और किसी भी सामान की आपूर्ति और फिक्सिंग के किसी भी काम को निष्पादित करने के लिए जिसके लिए प्रमुख लागत मूल्य या अनंतिम रकम मात्रा की अनुसूची में शामिल हैं और/या विनिर्देशों जो नियोक्ता के इंजीनियर द्वारा नामित या चयनित किया जा सकता है, इसके द्वारा ठेकेदार द्वारा नियोजित उप-ठेकेदार घोषित किया जाता है और यहां नामित उप-ठेकेदार के रूप में संदर्भित किया जाता है।

ठेकेदार के खिलाफ कार्यों पर या उसके संबंध में कोई नामित उप-ठेकेदार नियोजित नहीं किया जाएगा, उचित आपत्ति करेगा या (जहां नियोक्ता और ठेकेदार अन्यथा सहमत होंगे) जो प्रदान किए गए अनुबंध में प्रवेश नहीं करेंगे:

a) नामित उप-ठेकेदार उप-ठेकेदार, उसके सेवकों या एजेंटों द्वारा किसी भी लापरवाही या उसके द्वारा किसी भी मचान या अन्य संयंत्र, ठेकेदार की संपत्ति या लागू किसी कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के तहत किसी भी दुरुपयोग के संबंध में दावों के खिलाफ ठेकेदार को क्षतिपूर्ति करेगा।

b) कि नामित उप-ठेकेदार उप-अनुबंध के संबंध में उसी दायित्व के खिलाफ ठेकेदार को क्षतिपूर्ति करेगा जैसा कि ठेकेदार इस अनुबंध के संबंध में है।

c) बैंक के अभियंता का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर नामित उप-ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि कोई भी प्रमाण पत्र जारी करने से पहले ठेकेदार अनुरोध पर बैंक के इंजीनियर को प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि पिछले प्रमाणपत्रों में शामिल सभी नामित उप-ठेकेदार के खातों को विधिवत निर्वहन कर दिया गया है, जिसमें से चूक का नियोक्ता बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र पर भुगतान कर सकता है और किसी भी राशि से उसकी राशि काट सकता है ठेकेदार के कारण। इस शक्ति के प्रयोग से नियोक्ता और उप-ठेकेदार के बीच अनुबंध की संक्षिप्तता पैदा नहीं होगी।

35. नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति

नियोक्ता इस अनुबंध में शामिल नहीं किए गए किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए भवन और साइट के किसी भी हिस्से का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है, और ठेकेदार इस तरह के कार्य के निष्पादन के लिए सभी उचित सुविधाओं की अनुमति देगा, लेकिन नियोक्ता के साथ विशेष व्यवस्था को छोड़कर इस तरह के कार्य के निष्पादन के लिए कोई संयंत्र या सामग्री प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह के काम को इस तरह से किया जाएगा कि अनुबंध में शामिल कार्यों की प्रगति में बाधा न आए और ठेकेदार किसी भी क्षति या देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो इस तरह के काम के साथ हो सकता है या हो सकता है।

36. व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान के संबंध में बीमा

ठेकेदार, व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को होने वाली किसी भी चोट या नुकसान के लिए, और संपत्ति को होने वाले सभी संरचनात्मक और सजावटी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। यह नुकसान उसके अपने काम या लापरवाही से, या उसके द्वारा नियुक्त किसी उप-ठेकेदार के कर्मचारियों के काम या लापरवाही से हो सकता है। चाहे ऐसी चोट या नुकसान लापरवाही, दुर्घटना, या किसी भी अन्य कारण से हुआ हो, जो किसी भी तरह से इस अनुबंध को पूरा करने से जुड़ा हो। इस खंड के तहत दायित्व में, अन्य बातों के अलावा, इमारतों को होने वाला कोई भी नुकसान शामिल माना जाएगा—चाहे वे इमारतें तुरंत बगल में हों या कहीं और—और सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों या रास्तों को होने वाला कोई भी नुकसान भी शामिल होगा। साथ ही, इस अनुबंध का विषय बनने वाली इमारतों, अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाला सभी नुकसान भी इसमें शामिल है। ठेकेदार, इस अनुबंध का विषय बनने वाली इमारतों, अन्य संरचनाओं और कार्यों को पाले, बारिश, हवा या मौसम की अन्य खराबी के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए भी जिम्मेदार होगा। ठेकेदार, नियोक्ता को

क्षतिपूर्ति देगा और उसे सुरक्षित रखेगा। यह सुरक्षा, व्यक्तियों या संपत्ति को ऊपर बताए अनुसार होने वाली किसी भी चोट या नुकसान से उत्पन्न होने वाले सभी खर्चों के संबंध में होगी। साथ ही, चोट या नुकसान के संबंध में किए गए किसी भी दावे के विरुद्ध—चाहे वह किसी कानून के तहत हो या अन्यथा—और ऐसे दावों के परिणामस्वरूप दिए गए किसी भी निर्णय, मुआवज़े या हर्जाने के संबंध में भी यह सुरक्षा लागू होगी।

ठेकेदार, अपने स्वयं के खर्च पर, इस अनुबंध के तहत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से लेकर नियोक्ता द्वारा अनुमोदित एक बीमा कंपनी के साथ, नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में भूकंप जोखिम सहित अनुबंध की पूरी राशि के लिए बीमा के लिए एक सभी जोखिम पॉलिसी (नियोक्ता "भारतीय रिज़र्व बैंक" का नाम बीमा में पहले स्थान पर रखा जा रहा है) को प्रभावी और बनाए रखेगा (ख) ठेकेदारों के लिए मानक सभी जोखिम नीति के अनुसार सभी जोखिमों के विरुद्ध नीतियां (नीति) निर्धारित की जाती हैं और कार्य शुरू करने से पहले ऐसी नीति अथवा नीतियां नियोक्ता के पास जमा कर दी जाती हैं।

ठेकेदार इस खंड में उल्लिखित हर प्रकार के सभी नुकसानों को बहाल करेगा, ताकि पूरे अनुबंध कार्यों को हर तरह से पूर्ण और परिपूर्ण किया जा सके और ताकि संपत्ति या तीसरे पक्ष को नुकसान के सभी दावों को अच्छा या अन्यथा पूरा किया जा सके।

ठेकेदार नियोक्ता को उन सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा जो किसी भी व्यक्ति/जनता के किसी भी सदस्य या अन्य तीसरे पक्ष द्वारा नियोक्ता के खिलाफ की जा सकती हैं, जो कार्यों के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकती है और अपने स्वयं के खर्चों पर लागू होने और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा, जो शुरू होने की तारीख से अनुबंध के पूरा होने तक प्रभावी होगा, एक अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ, नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नाम पर बीमा की एक पॉलिसी (नियोक्ता "भारतीय रिज़र्व बैंक" का नाम बीमा पॉलिसी में पहले स्थान पर रखा जा रहा है) ऐसे जोखिमों के खिलाफ और काम शुरू होने से पहले नियोक्ता के साथ ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को जमा करना है।

ठेकेदार इसी तरह नियोक्ता को उन सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा जो नियोक्ता पर किए जा सकते हैं, चाहे वह कामगार मुआवजा अधिनियम या इस अनुबंध की मुद्रा के दौरान लागू किसी अन्य कानून के तहत या ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी या किसी उप-ठेकेदार के संबंध में सामान्य कानून में हो और अपने स्वयं के खर्च पर प्रभाव और रखरखाव करेगा, अनुबंध के प्रारंभ होने की तारीख से लेकर अनुबंध के पूरा होने तक प्रभावी रूप से, एक अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ, नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नाम पर बीमा की एक पॉलिसी (नियोक्ता का नाम "भारतीय रिज़र्व बैंक" जिसे बीमा पॉलिसी में पहले स्थान पर रखा जा रहा है) ऐसे जोखिम के खिलाफ और अनुबंध की मुद्रा के दौरान समय-समय पर नियोक्ता के साथ ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को जमा करें।

"थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी" के तहत कवरेज की न्यूनतम सीमा क्या होगी?



किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये और किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए संपत्ति के नुकसान के संबंध में 5 लाख रुपये।

ठेकेदार किसी भी दायित्व के लिए जिम्मेदार होगा जिसे ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों से बाहर रखा जा सकता है और किसी भी व्यक्ति, जानवर या किसी भी संपत्ति को अन्य सभी नुकसानों के लिए भी जिम्मेदार होगा जो इस अनुबंध के लापरवाह या दोषपूर्ण निष्पादन के लिए उत्पन्न होता है। वह नियोक्ता को सभी और किसी भी लागत, शुल्क या व्यय के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगा जो दावे या वहां से उत्पन्न होने वाली क्षति की कार्यवाही से उत्पन्न होता है।

जैसा कि ऊपर प्रदान किया गया है, बीमा करने वाले ठेकेदार की चूक में, नियोक्ता बीमा कर सकता है और किसी भी देय धन से भुगतान किए गए प्रीमियम में कटौती कर सकता है या जो ठेकेदार के कारण हो सकता है। ठेकेदार नियोक्ता को कार्यों से संबंधित किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली सभी और किसी भी लागत, शुल्क या खर्चों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करेगा।

इस तरह के चूक के संबंध में ठेकेदारों के खिलाफ नियोक्ता के अन्य अधिकारों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी रकम से नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए किसी भी नुकसान, मुआवजा लागत, शुल्क और अन्य खर्चों की राशि में कटौती करने का हकदार होगा और जो इस खंड के तहत ठेकेदार द्वारा देय हैं।

ठेकेदार इस खंड के तहत ली गई पॉलिसी के अनुसार बीमाकर्ता के खिलाफ किए गए किसी भी दावे के बीमाकर्ता द्वारा निपटान करने पर, नष्ट या क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए उचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ेगा। इस घटना में, इस तरह के नुकसान के संबंध में बीमाकर्ता से प्राप्त सभी धन का भुगतान ठेकेदार को किया जाएगा और ठेकेदार नष्ट या क्षतिग्रस्त सामग्री या सामान के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए किए गए व्यय के संबंध में किसी भी और भुगतान का हकदार नहीं होगा।

ठेकेदार, क्षति के बाद पुनर्निर्माण या बहाली के मामले में पूरा करने के लिए समय के इस तरह के विस्तार का हकदार होगा, जैसा कि नियोक्ता उचित समझे, लेकिन हालांकि, नियोक्ता द्वारा किसी भी कमी या कमी की प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा, जैसा कि यहां निर्धारित किया गया है।

इस खंड के तहत अपने दायित्व के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, ठेकेदार सभी नामित उप-ठेकेदारों को इस खंड के प्रावधानों के अनुसार बीमा की एक समान नीतियों के कार्यों के अपने संबंधित हिस्सों के लिए प्रभावित करेगा और नियोक्ता को ऐसी नीतियों का उत्पादन करेगा या उत्पादन करेगा। ठेकेदार किसी नामित उप-ठेकेदार को साइट पर काम शुरू करने की अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक कि उक्त बीमा पॉलिसियां जमा नहीं की जाती हैं। साइट पर कार्य शुरू करने से पहले उप-ठेकेदार द्वारा ऐसी पॉलिसी या बीमा की पॉलिसियों को लेने में विफलता की स्थिति में, ठेकेदार उक्त उप-ठेकेदार के कारण किसी भी दावे या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा।

37. प्रारंभ और समापन की तिथि

ठेकेदार को इस दस्तावेज़ के परिशिष्ट में बताई गई "शुरुआत की तारीख" को, या नियोक्ता द्वारा बताई गई किसी बाद की तारीख को, साइट पर आने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद, वह तुरंत काम शुरू करेगा और उसे नियमित रूप से जारी रखते हुए, परिशिष्ट में बताई गई "काम पूरा होने की तारीख" तक या उससे पहले पूरा करेगा (सिवाय पेंटिंग या किसी अन्य सजावटी काम के, जिसे नियोक्ता बाद में करवाना चाहे); हालांकि, यह सब समय बढ़ाने के संबंध में आगे दिए गए प्रावधानों के अधीन होगा।



38. पूरा न होने के लिए नुकसान;

यदि ठेकेदार अनुबंध में निर्धारित पूरा होने के समय तक या समय विस्तार खंड के तहत किसी भी विस्तारित समय के भीतर कार्यों की आवश्यक प्रगति को बनाए रखने में विफल रहता है और नियोक्ता लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि उसकी राय में इसे यथोचित रूप से पूरा किया जाना चाहिए था, तो ठेकेदार नियोक्ता को "परिसमापन क्षति" के रूप में नामित राशि का भुगतान करेगा उस अवधि के लिए जिसके दौरान उक्त कार्य अधूरे रहेंगे और नियोक्ता ठेकेदार के कारण किसी भी धन से इस तरह के नुकसान की कटौती कर सकता है। ठेकेदार इसके द्वारा विशेष रूप से सहमत होता है और नियोक्ता को इस तरह के परिसमापन नुकसान, यदि कोई हो, को इस अनुबंध के संदर्भ में ठेकेदार को देय और देय होने वाली किसी भी किस्त से या प्रतिधारण धन से काटने के लिए अधिकृत करता है।

39. देरी और समय का विस्तार

यदि नियोक्ता की राय में, कार्यों में देरी हो सकती है (ए) अप्रत्याशित घटना से या (बी) किसी भी असाधारण रूप से खराब मौसम के कारण या (सी) द्वारा की गई कार्यवाही के कारण या धमकी दी गई या अन्यथा उत्पन्न होने वाले पड़ोसी या पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ विवाद के कारण, ठेकेदार के स्वयं के डिफॉल्ट के माध्यम से या (डी) नियोक्ता द्वारा लगे या नामांकित अन्य ठेकेदार या ट्रेड्समैन के कार्यों या देरी से और संदर्भित नहीं किया गया है मात्रा और/या विशिष्टता की अनुसूची या (ई) कारण या नियोक्ता के निर्देशों से या (एफ) नागरिक हंगामा के कारण, श्रमिकों के स्थानीय संयोजन या हड़ताल या तालाबंदी के कारण किसी भी भवन व्यापार को प्रभावित करता है या (जी) ठेकेदार को नियत समय में नियोक्ता से आवश्यक निर्देश प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप जिसके लिए उसने विशेष रूप से लिखित रूप में आवेदन किया होगा या (एच) अन्य कारणों से जिसे नियोक्ता प्रमाणित कर सकता है ठेकेदार का नियंत्रण या (आई) यदि कार्य का मूल्य भिन्नता के कारण मात्रा की मूल्य अनुसूची के मूल्य से अधिक हो जाता है, तो नियोक्ता अनुबंध कार्यों को पूरा करने के लिए समय का उचित और उचित विस्तार कर सकता है। इस तरह की हड़ताल या तालाबंदी के मामले में, ठेकेदार तुरंत नियोक्ता को लिखित सूचना देगा, लेकिन ठेकेदार फिर भी देरी को रोकने के लिए लगातार अपने प्रयासों का उपयोग करेगा और काम के साथ आगे बढ़ने के लिए बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए उचित रूप से आवश्यक सभी काम करेगा। सामान्य मानसून के कारण कार्य के रुकने को बाधा नहीं माना जा सकता है।

यदि ठेकेदार को कार्य पूरा करने के लिए समय के विस्तार की आवश्यकता होती है या यदि अनुबंध में निर्धारित पूरा होने की नियत तारीख से परे किसी भी कारण से काम पूरा होने में देरी होती है, तो ठेकेदार नियोक्ता को निर्धारित समय की समाप्ति से कम से कम 7 दिन पहले और समय के विस्तार के लिए आवेदन करते समय लिखित रूप में समय के विस्तार के लिए आवेदन करेगा। ठेकेदार देरी के लिए दस्तावेजी साक्ष्य (बाधा रजिस्टर के प्रासंगिक पृष्ठों की प्रति), यदि कोई हो, के साथ विस्तार से कारण और अपने औचित्य को प्रस्तुत करेगा। केवल नियोक्ता द्वारा दी गई समय के विस्तार की अवधि (ठेकेदार से आवेदन प्राप्त होने पर या यहां तक कि देरी के लिए आधार की तर्कसंगतता के रूप में ऐसे किसी भी आवेदन प्रमाणन के अभाव में) परिसमापन क्षति को लागू करने की छूट के लिए अर्हता प्राप्त करेगी। मूल निर्धारित अवधि से अधिक शेष अवधि के लिए और समय का अधिकृत विस्तार नियोक्ता द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार, खंड 36 के तहत उल्लिखित परिसमापन क्षति का प्रावधान लागू हो जाएगा।

इसके अलावा, अनुबंध पूरा होने की नियत तारीख से परे की अवधि के लिए भी लागू रहेगा, भले ही ठेकेदार ने आवेदन किया हो या नहीं, जब तक कि नियोक्ता अनुबंध को समाप्त करने का निर्णय नहीं लेता है। किसी भी कारण से कार्य पूरा करने में विलंब से ठेकेदार को दरों में किसी भी संशोधन या किसी भी कारण से किसी अतिरिक्त मुआवजे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

40. नियोक्ता के निर्देशों का पालन करने के लिए ठेकेदार द्वारा विफलता

यदि नियोक्ता से लिखित नोटिस प्राप्त होने के बाद ठेकेदार को दस दिनों के भीतर अनुपालन की आवश्यकता होती है, तो नियोक्ता ऐसे किसी भी कार्य को निष्पादित करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियोजित और भुगतान कर सकता है जो इसे प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकता है, और उसके संबंध में होने वाली सभी लागतें नियोक्ता के इंजीनियर के प्रमाण पत्र पर नियोक्ता द्वारा ठेकेदार से ऋण के रूप में वसूल की जा सकती हैं या हो सकती हैं ठेकेदार के कारण किसी भी पैसे से उसके द्वारा कटौती की गई।

41. नियोक्ता द्वारा अनुबंध की समाप्ति

यदि ठेकेदार एक व्यक्ति या फर्म होने के नाते कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है, या एक दिवालिया घोषित किया जाएगा या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके खिलाफ अनिवार्य समापन के लिए एक आदेश होगा या स्वेच्छा से समापन के लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित करेगा या न्यायालय और आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक के पर्यवेक्षण के अधीन होगा, दिवालियापन या समापन के ऐसे कृत्यों में, जैसा भी मामला हो, उसे नोटिस के बाद सात दिनों के भीतर असमर्थ होगा, जिसमें उसे नियोक्ता की उचित संतुष्टि को दिखाने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता होगी कि वह अनुबंध को पूरा करने और पूरा करने में सक्षम है और इसलिए सुरक्षा देने के लिए, यदि नियोक्ता द्वारा आवश्यक हो।

या

यदि ठेकेदार (चाहे कोई व्यक्ति, फर्म या निगमित कंपनी) ठेकेदार के खिलाफ जारी की जाने वाली संपत्ति को निष्पादन या न्यायालय की कुर्की की अन्य प्रक्रिया से पीड़ित होगा।

या

इस अनुबंध के तहत किसी भी भुगतान को ठेकेदार के किसी भी लेनदार द्वारा या उसकी ओर से संलग्न किया जाएगा।

या

नियोक्ता की सहमति के बिना नियोक्ता की सहमति के बिना इस अनुबंध को प्रत्यक्ष रूप से निर्दिष्ट या उप-रूप से प्राप्त करेगा।

या

इस अनुबंध या किसी भी भुगतान के कारण या जो इसके तहत ठेकेदार के कारण हो सकता है, उसे चार्ज या भार देगा।

या

यदि नियोक्ता लिखित रूप में प्रमाणित करेगा कि ठेकेदार

1. अनुबंध को छोड़ दिया है,



या

2. कार्य शुरू करने में विफल रहा है, या इन शर्तों के तहत बिना किसी वैध बहाने के नियोक्ता से आगे बढ़ने के लिए नोटिस प्राप्त करने के बाद चौदह दिनों के लिए कार्यों की प्रगति को निलंबित कर दिया है।

या

3. (ख) यदि हां, तो इस प्रकार के परिश्रम के साथ कार्यों को आगे बढ़ाने में विफल रहा है और ऐसी प्रगति करने में विफल रहा है जिससे कार्यों को सहमत समय के भीतर पूरा किया जा सके,

या

4. नियोक्ता से लिखित सूचना प्राप्त करने के बाद सात दिनों के लिए साइट से सामग्री को हटाने या काम को नीचे खींचने और बदलने में विफल रहा है कि उक्त सामग्री या काम की निंदा की गई थी और इन शर्तों के तहत नियोक्ता द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था

या

5. इस अनुबंध द्वारा सभी या किसी भी कार्यों, मामलों या चीजों का निरीक्षण करने और निष्पादित करने के लिए ठेकेदार द्वारा सात दिनों के लिए लिखित नोटिस के बाद ठेकेदार को दिया गया होगा कि ठेकेदार को उसी का निरीक्षण करने या प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी।

तब और उक्त मामलों में से किसी में, नियोक्ता, किसी भी पिछली छूट के बावजूद, ठेकेदार को लिखित रूप में 07 (सात) दिनों का नोटिस देने के बाद, अनुबंध का निर्धारण कर सकता है, लेकिन इस तरह नियोक्ता की शक्तियों या अनुबंध के दायित्वों और देनदारियों को प्रभावित किए बिना, जिनमें से पूरी तरह से लागू रहेगी जैसे कि अनुबंध इतना निर्धारित नहीं किया गया है, और जैसे कि बाद में निष्पादित कार्यों को ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किया गया था और इसके अलावा, नियोक्ता अपने एजेंटों या नौकरों द्वारा कार्यों में प्रवेश कर सकता है और भवन या आसपास की भूमि या सड़कों पर पड़े सभी संयंत्रों, उपकरणों, मचान, शेड, मशीनरी, भाप और अन्य बिजली के बर्तन और सामग्री पर कब्जा कर सकता है, और अपनी संपत्ति के रूप में उसी का उपयोग कर सकता है या कार्यों को पूरा करने और पूरा करने के लिए किसी अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त करके अपने स्वयं के सेवकों और श्रमिकों के माध्यम से उसे नियोजित कर सकता है, और ठेकेदार किसी भी तरह से बाधा नहीं डालेगा या कोई कार्य नहीं करेगा, ऐसे अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को पूरा करने और परिष्करण करने या कार्यों के लिए सामग्री और संयंत्र का उपयोग करने के लिए नियोजित व्यक्तियों को रोकने या बाधित करने के लिए मामला या चीज। जब कार्य पूरा हो जाएगा या उसके बाद जितनी जल्दी सुविधाजनक हो सके नियोक्ता ठेकेदार को अपनी अधिशेष सामग्री और संयंत्र को हटाने के लिए लिखित रूप में एक नोटिस देगा, और यदि ठेकेदार उसके द्वारा प्राप्त होने के बाद चौदह दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता इसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच सकता है, और वसूली गई शुद्ध राशि के लिए ठेकेदार को क्रेडिट दें। इसके बाद नियोक्ता अपने हाथ से यह पता लगाएगा और लिखित रूप में प्रमाणित करेगा कि नियोक्ता को या उसके द्वारा क्या (यदि कुछ हो) देय या देय होगा और व्यय या हानि जो नियोक्ता को पूरा किए जाने वाले कार्यों की खरीद में लगाया जाएगा और राशि, यदि कोई हो, ठेकेदार के कारण और इस प्रकार प्रमाणित की जाने वाली राशि का भुगतान नियोक्ता द्वारा ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा किया जाएगा नियोक्ता को, जैसा भी मामला हो, और नियोक्ता का प्रमाण पत्र पार्टियों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा।



42. ठेकेदार द्वारा अनुबंधों की समाप्ति

यदि नियोक्ता के प्रमाण पत्र के तहत नियोक्ता द्वारा देय राशि का भुगतान बकाया होगा और लिखित रूप में नोटिस के बाद तीस दिनों के लिए अवैतनिक होगा, जैसा कि पूर्वोक्त राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को दिया गया होगा, या यदि नियोक्ता ऐसे किसी भी प्रमाण पत्र के मुद्दों में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है, या यदि नियोक्ता ठेकेदार को अस्वीकार कर देगा, या यदि नियोक्ता के आदेश के तहत या किसी भी कानून के किसी भी आदेश या अन्य आदेश द्वारा तीन महीने के लिए काम बंद कर दिया जाता है, तो और उक्त मामलों में से किसी में भी ठेकेदार नियोक्ता को लिखित रूप में नोटिस द्वारा अनुबंध का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होगा, और वह नियोक्ता से पुनर्प्राप्त करने का हकदार होगा, सभी कार्यों के लिए भुगतान, निष्पादित और किसी भी नुकसान के लिए वह किसी भी संयंत्र या सामग्री की आपूर्ति या खरीद या अनुबंध के उद्देश्य के लिए तैयार कर सकता है।

इस तरह के भुगतान की राशि पर पहुंचने पर, ठेकेदार की मूल निविदा में निहित शुद्ध दरों का पालन किया जाएगा, या जहां यह लागू नहीं हो सकता है, मूल्यांकन इसके खंड के अनुसार किया जाएगा।

43. भुगतान का प्रमाण पत्र

A. ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा समय-समय पर नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को निष्पादित कार्यों के कारण नियोक्ता द्वारा जारी किए जाने वाले अंतरिम प्रमाणपत्रों के तहत किशतों द्वारा भुगतान किया जाएगा, जब नियोक्ता की राय में, परिशिष्ट में नामित अनुमानित मूल्य के लिए काम करता है "अंतरिम प्रमाण पत्र के लिए काम का मूल्य" (या नियोक्ता के उचित विवेक पर कम) इस अनुबंध के अनुसार निष्पादित किया गया है, हालांकि, परिशिष्ट में नामित इस तरह के मूल्य के प्रतिशत को "अंतरिम प्रमाणपत्रों के लिए प्रतिधारण प्रतिशत" के रूप में बनाए रखने के अधीन, जब तक कि कुल राशि परिशिष्ट में "कुल प्रतिधारण धन" के रूप में नामित राशि तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद किशतें बाद में निष्पादित और भवन में तय किए गए कार्य के पूर्ण मूल्य तक होंगी।

B. जब कार्य वस्तुतः पूरा हो गया है और नियोक्ता ने लिखित रूप में प्रमाणित किया होगा कि वे पूरे हो गए हैं, तो ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा नियोक्ता द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र के अनुसार भुगतान किया जाएगा, परिशिष्ट में नामित धन की राशि "आभासी पूर्णता के बाद किस्त" उक्त कुल प्रतिधारण राशि का एक हिस्सा है। और ठेकेदार अंतिम शेष राशि के भुगतान के लिए नियोक्ता द्वारा लिखित रूप में जारी किए जाने वाले अंतिम प्रमाण पत्र के अनुसार अंतिम शेष राशि के भुगतान का हकदार होगा, जिसे परिशिष्ट में "दोष देयता अवधि" के रूप में संदर्भित अवधि की समाप्ति पर आभासी समापन की तारीख से या ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद जैसे ही कार्य अंतिम रूप से पूरा हो गया है और सभी दोषों को ठीक किया गया है। सही इरादा और इसका अर्थ जो भी अंतिम रूप से होगा, हमेशा प्रदान किया जाएगा कि कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद किसी भी प्रमाण पत्र के नियोक्ता द्वारा जारी किया गया मुद्दा ठेकेदार को खंड के तहत उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेगा या धोखाधड़ी, बेईमानी, या सामग्री के कार्यों से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में ठेकेदार को उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेगा या प्रमाण पत्र में निपटाए गए किसी भी मामले से, और कार्यों या सामग्रियों में सभी दोषों और अपर्याप्तताओं के मामले में जो एक उचित परीक्षा का खुलासा नहीं किया होगा। नियोक्ता का कोई भी प्रमाण पत्र अपने आप में निर्णायक प्रमाण नहीं होगा कि कोई भी कार्य या सामग्री जिससे वह संबंधित है।

अनुबंध के अनुसार, न तो ठेकेदार के पास किसी भी राशि के लिए दावा होगा, जिसे नियोक्ता ने किसी भी अंतरिम बिल में प्रमाणित किया हो सकता है और नियोक्ता द्वारा भुगतान किया हो सकता है और जिसे बाद में देय नहीं पाया जा सकता है और इस संबंध में नियोक्ता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

- a) साइट इंजीनियर, कार्य और माप की लंबित परीक्षण जांच, विवरणों की जांच, अंकगणितीय सटीकता और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन।
- b) नियोक्ता के पास किसी भी प्रमाण पत्र को रोकने की शक्ति होगी यदि कार्य या उसके कोई भाग उसकी संतुष्टि के लिए नहीं किए जा रहे हैं।
- c) नियोक्ता किसी भी प्रमाण पत्र द्वारा किसी भी पिछले प्रमाण पत्र में कोई सुधार कर सकता है, जो उसके द्वारा जारी किया गया होगा।
- d) नियोक्ता द्वारा भुगतान का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा यदि ठेकेदार कार्यों का बीमा करने में विफल रहता है और वर्चुअल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने तक उन्हें बीमाकृत रखता है।
- e) नियोक्ता द्वारा इसके तहत दिए गए किसी भी प्रमाण पत्र के अनुसरण में नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय कोई भी राशि, यदि परिशिष्ट में नामित "सम्मान प्रमाण पत्र की अवधि" के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो परिशिष्ट में नामित दर पर "विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर" के रूप में ब्याज ले जाएगा, जिस तारीख को भुगतान करने तक नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए था।

44. नियोक्ता द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किया जाने वाला मामला

नियोक्ता द्वारा निर्धारित निर्णय, राय, दिशा, प्रमाण पत्र अंतिम और निर्णायक और पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा और अपील के बिना होगा। नियोक्ता का कोई अन्य निर्णय, राय, निर्देश, प्रमाण पत्र या मूल्यांकन या नियोक्ता का कोई भी इनकार, खंड 43 के तहत मध्यस्थता और समीक्षा के अधिकार के अधीन होगा, उसी तरह से सभी मामलों में (संदर्भ खोलने के प्रावधानों सहित) जैसे कि यह नियोक्ता का निर्णय था।

45. मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटान

किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद, जो भी अनुबंध से उत्पन्न होते हैं या उसके संबंध में या कार्यों को पूरा करने के संबंध में (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और चाहे अनुबंध के निर्धारण, परित्याग या उल्लंघन से पहले या बाद में) नियोक्ता द्वारा संदर्भित और निपटाया जाएगा जो लिखित रूप में अपना निर्णय बताएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। किसी भी अपवाद के मामले के संबंध में नियोक्ता का निर्णय अंतिम और अपील के बिना होगा जैसा कि उपर्युक्त खंडों के तहत कहा गया है। लेकिन अगर नियोक्ता या ठेकेदार असंतुष्ट हैं, तो किसी भी प्रकार का प्रश्न या विवाद (किसी भी अपवाद को छोड़कर) या नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र को रोकने के रूप में जिसके लिए ठेकेदार तब हकदार होने का दावा कर सकता है और ऐसे किसी भी मामले में कोई भी पक्ष (नियोक्ता या ठेकेदार) इस तरह के निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर नियोक्ता के माध्यम से दूसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस दे सकता है, जिसमें विवाद के मामलों में मध्यस्थता की आवश्यकता होती है। इस तरह की लिखित सूचना उन मामलों को निर्दिष्ट करेगी, जो विवाद या मतभेद में हैं, जिनमें से ऐसा लिखित नोटिस दिया गया है।

यदि दोनों पक्ष सहमत हैं, तो इस प्रयोजन के लिए एक एकल मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई समझौता नहीं हो सका, तो दोनों पक्ष अपने-अपने पक्ष से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। पार्टियों द्वारा नामित दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ या अंपायर के रूप में कार्य करने के लिए एक और व्यक्ति को नामित करेंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थों को, जैसा भी मामला हो, पूर्ववर्ती खंड में संदर्भित अपवादित मामलों के संबंध में बचाए हुए किसी भी प्रमाण पत्र, राय, निर्णय, मांग या नोटिस को खोलने, समीक्षा करने और संशोधित करने का अधिकार होगा, और विवाद के सभी मामलों का निर्धारण करने का अधिकार होगा जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और जिनका नोटिस उपर्युक्त रूप से दिया गया होगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, संदर्भ पर प्रवेश करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर (या ऐसे अतिरिक्त विस्तारित समय के भीतर जैसा कि मामला हो, उसके या उनके द्वारा तय किया जा सकता है, पक्षकारों की सहमति से) अपना निर्णय देगा। यदि, मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान, पक्षकार आपसी समझौते, समझौता या अपने विवाद या मतभेद का निपटारा करते हैं, तो मध्यस्थता के संदर्भ और मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति, जैसा भी मामला हो, को रद्द कर दिया गया माना जाएगा और मध्यस्थता कार्यवाही वापस ले ली जाएगी या समाप्त हो जाएगी, उस तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख को पक्षकार मध्यस्थ या मध्यस्थों के साथ, जैसा भी मामला हो, उसके निपटारे का एक संयुक्त ज्ञापन दायर करते हैं।

ऐसे प्रत्येक या किसी भी ऐसे संदर्भ पर, संदर्भ और निर्णय की लागत क्रमशः मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक पर होगी, जो मामले के अनुसार, उसकी राशि निर्धारित कर सकते हैं, या उसे वकील और ग्राहक के बीच या पक्ष के बीच कर लगाने का निर्देश दे सकते हैं और निर्देशित कर सकते हैं कि किसके द्वारा और किसके लिए और किस मामले में इसे वहन और भुगतान किया जाएगा। इस प्रस्तुति को भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अर्थ के भीतर मध्यस्थता के लिए एक प्रस्तुति माना जाएगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का पुरस्कार, जैसा भी मामला हो, अंतिम और पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। यह सहमति है कि ठेकेदार किसी भी ऐसे मामले, पत्र या विवाद के कारण, जो मध्यस्थता को संदर्भित किया जाता है, कार्यों को पूरा करने में देरी नहीं करेगा, लेकिन सभी उचित परिश्रम के साथ कार्यों को आगे बढ़ाएगा और जब तक कि मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय, जैसा भी मामला हो, नहीं दिया जाता है, नियोक्ता के निर्णय का पालन करेगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी निर्णय, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक निष्पादन के संबंध में नियोक्ता के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। नियोक्ता और ठेकेदार इस बात से भी सहमत हैं कि इस खंड के तहत मध्यस्थता अनुबंध के तहत किसी भी कार्रवाई के अधिकार के लिए एक पूर्व शर्त होगी।

मध्यस्थता का स्थान गुवाहाटी, असम, भारत होगा।



46. अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार

नियोक्ता को नियोक्ता द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा कार्यों की तकनीकी जांच कराने का अधिकार होगा और ठेकेदार का अंतिम बिल जिसमें सभी सहायक वाउचर, सार आदि शामिल होंगे। यदि इस परीक्षा के परिणामस्वरूप या अन्यथा कोई राशि अधिक भुगतान या अधिक प्रमाणित पाई जाती है, तो नियोक्ता के लिए इस कार्य के लिए ठेकेदार को देय किसी भी भुगतान से या "भारतीय रिज़र्व बैंक" के तहत कहीं और ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे किसी अन्य कार्य या कार्यों से राशि वसूल करना वैध होगा।

47. नियोक्ता कामगार को भुगतान किए गए मुआवजे की वसूली का हकदार है

यदि, किसी भी कारण से, नियोक्ता कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबंधों के आधार पर, या किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुन अधिनियमन के आधार पर कार्यों के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी कामगार को मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य है, तो नियोक्ता ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान किए गए मुआवजे की राशि वसूलने का हकदार होगा। और अधिनियम के तहत नियोक्ता के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना। नियोक्ता इस तरह की राशि या उसके किसी भी हिस्से को सुरक्षा जमा से या नियोक्ता द्वारा इस अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय किसी भी राशि से या अन्यथा वसूलने के लिए स्वतंत्र होगा। नियोक्ता उक्त अधिनियम के तहत इसके खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय ठेकेदार के लिखित अनुरोध के और नियोक्ता को सभी लागतों के लिए नियोक्ता की संतुष्टि के लिए पूर्ण सुरक्षा देने पर, जिसके लिए नियोक्ता इस तरह के दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी हो सकता है।

48. कार्यों का परित्याग

यदि निविदा की स्वीकृति के बाद किसी भी समय, नियोक्ता को किसी भी कारण से पूरे या किसी भी हिस्से को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होगी, तो नियोक्ता ठेकेदार को लिखित रूप में नोटिस देगा, जिसके पास मुआवजे के किसी भी भुगतान का कोई दावा नहीं होगा या अन्यथा किसी भी लाभ या लाभ के कारण जो भी वह पूरे कार्यों के निष्पादन से प्राप्त हो सकता है।

49. अधिशेष सामग्री की वापसी

इस अनुबंध के किसी भी या सभी खंडों में किसी भी बात के होते हुए भी, जहां अनुबंध के निष्पादन के लिए कोई सामग्री नियोक्ता की सहायता से सरकारी आदेशों या परमिटों या लाइसेंस या लाइसेंस द्वारा किए गए खरीद के माध्यम से प्राप्त की जाती है, वहां ठेकेदार उक्त सामग्रियों को आर्थिक रूप से और केवल अनुबंध के उद्देश्य के लिए रखेगा और नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उनका निपटान नहीं करेगा और उन्हें नियोक्ता को लौटा देगा, यदि नियोक्ता द्वारा आवश्यक हो, तो नियोक्ता द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमत पर सामग्रियों की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित की जाने वाली कीमत उसकी खरीद मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिक्री कर, चुंगी और उसके संबंध में ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए अन्य ऐसे लेवी। उपर्युक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ठेकेदार, लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या आपराधिक विश्वास के उल्लंघन के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होने के अलावा, ऐसे उल्लंघन के कारण उसे होने वाले सभी धन, लाभ या लाभ के लिए नियोक्ता के लिए उत्तरदायी होगा।



50. ठेकेदार की मृत्यु की स्थिति में अनुबंध समाप्त करने का नियोक्ता का अधिकार, यदि कोई व्यक्ति है

इस अनुबंध के तहत किसी भी अधिकार या उपचार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, यदि ठेकेदार एक व्यक्ति होने के नाते, मर जाता है, तो नियोक्ता के पास इस तरह की समाप्ति के लिए कोई दायित्व उठाए बिना अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा।

51. दुर्घटना की रिपोर्ट

किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं की स्थिति में, ठेकेदार ग्राहक को सभी दुर्घटना रिपोर्टों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट बिना किसी देरी के भेजी जाएगी और साथ ही उन्हें किसी अन्य पक्ष को भेज दिया जाएगा।

52. गैर-प्रकटीकरण खंड

ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी जानकारी, सामग्री और बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणाली/उपकरणों आदि का खुलासा नहीं करेगा, जो समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान ठेकेदार के पेशे या ज्ञान में आ सकता है, किसी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। ठेकेदार नियोक्ता की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा।

ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति से बचेंगे।

53. ठेकेदार को वेतन भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ग्रेच्युटी अधिनियम 1972, स्टॉप अधिनियम 1899, ईपीएफ अधिनियम 1952, ईएसआई अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 आदि और सभी लागू वैधानिक नियमों/दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। किसी भी वैधानिक मानदंडों/आवश्यकताओं द्वारा जारी किए गए नोटिस/जुर्माना, यदि कोई हो, का भुगतान ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को किसी भी दावे के बिना किया जाएगा।

54. ठेकेदार को ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970, ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 और असम श्रम अनुबंध (विनियमन और उन्मूलन) नियम, 1971 के अनुपालन का पालन करना चाहिए और कार्य स्थल पर संबंधित नोटिस बोर्ड प्रदर्शित करना चाहिए।



55. कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम

- a) बैंक की इमारत के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, ठेकेदार ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
- b) नियोक्ता के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का नियोक्ता द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।
- c) ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसका भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है यदि घटना में ठेकेदार के कर्मचारी/कामगार शामिल हैं, उदाहरण के लिए नियोक्ता के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी/श्रमिकों द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।
- d) ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- e) ठेकेदार अपने कर्मचारियों की एक पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगा जो नियोक्ता भवन के भीतर तैनात हैं।

अनुबंध की विशेष शर्तें

56. परियोजना टीम:

ठेकेदार परियोजना के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन के लिए साइट पर आवश्यक परियोजना टीम प्रदान करेगा। बोलीदाताओं को विशेष निर्देशों के तहत आवश्यक परियोजना टीम का विवरण ठेकेदार द्वारा आवश्यक होने पर या बैंक के निर्देशों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

57. कार्य की प्रगति

ठेकेदार बोलीदाताओं को विशेष निर्देशों के तहत आवश्यक परियोजना अनुसूची प्रदान करेगा।

कार्य प्रदान करने के बाद, ठेकेदार बोलीदाताओं को विशेष निर्देशों में निर्दिष्ट विस्तृत परियोजना अनुसूची/बार चार्ट (इसमें शामिल सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों के विवरण सहित) के साथ अपने निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत जानकारी के आधार पर सामग्री वितरण तिथियों सहित सामग्री वितरण की तारीखों सहित प्रारंभ और समापन कार्यक्रम की लिखित रूप में पुनः पुष्टि करेगा।

ठेकेदार, लिखित रूप में, प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जैसा कि बोलीदाताओं को विशेष निर्देशों में विशेष रूप से वर्णित किया गया है और नियोक्ता द्वारा बुलाई गई प्रगति समीक्षा बैठकों में भाग लेगा।

58. परियोजना दस्तावेज़ीकरण:

ठेकेदार को साइट पर बोलीदाताओं को विशेष निर्देशों में विशेष रूप से उल्लिखित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों, विवरणों, रजिस्ट्रों आदि को बनाए रखने की आवश्यकता होगी और काम पूरा होने के बाद उन्हें नियोक्ता को सौंप दिया जाएगा।



59. सीमांत नोट्स

इसके लिए कैच लाइनों में और इसके अनुलग्नक में सीमांत नोट केवल संदर्भ की सुविधा के लिए हैं और इन प्रस्तुतियों की व्याख्या और इसके अनुलग्नक में किसी भी तरह से ध्यान में नहीं रखा जाएगा। ठेकेदारों को इस अनुबंध के अनुसार हर तरह से उक्त कार्य करना और पूरा करना होगा।

स्थान:

ठेकेदार का नाम:

दिनांक:

पता:

ठेकेदार का हस्ताक्षर और मुहर:



परिशिष्ट यहां पहले संदर्भित किया गया है

यहां से पहले संदर्भित शर्तों में खंडों का संदर्भ:

1	दोष देयता अवधि	अनुभाग में संदर्भित वर्चुअल पूर्णता प्रमाण पत्र की तारीख से 12 महीने इसके बाद संदर्भित शर्तें"
2	अंतिम माप की अवधि	वर्चुअल समापन की तारीख से 3 महीने
3	प्रारंभ होने की तिथि	कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 10 वें दिन
4	पूरा होने की तिथि	वर्चुअल समापन की तिथि
5	पूरा होने की अवधि	वक ऑर्डर जारी करने के 10वें दिन से 180 दिन
6	परिसमापन क्षति की दर	₹1765/- प्रति दिन की देरी अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 26 के अनुसार अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन है
8	प्रतिधारण प्रतिशत	प्रत्येक आरए बिल से 5%
9	अंतरिम प्रमाणपत्रों के लिए कड़ाही का मूल्य	आरए बिलों के लिए 20 लाख रुपये
10	सुरक्षा जमा	कुल प्रतिधारण धन
11	वर्चुअल समापन के बाद प्रतिभूति जमा राशि का एक हिस्सा वापस किया जाएगा	लागू नहीं
12	दोष देयता अवधि के बाद वापस की जाने वाली सुरक्षा जमा राशि का हिस्सा	संतोषजनक सेवाओं और उक्त डीएलपी के दौरान ठेकेदार को विकसित और इंगित सभी दोषों के संतोषजनक सुधार के अधीन।
13	पीबीजी	पीबीजी समझौते के समय सफल निविदाकर्ता को समग्र रूप से कार्य की पूर्ति के लिए अनुबंध मूल्य के 5% की राशि की बैंक गारंटी (हार्ड कॉपी) प्रस्तुत करनी होगी। काम पूरा होने के बाद उसी पीबीजी को विक्रेता को वापस कर दिया जाएगा। पीबीजी का प्रारूप अनुलग्नक में देखा जा सकता है।



सामान्य शर्तें

कार्य का दायरा: कार्य के दायरे में भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई गुवाहाटी की दूसरी मंजिल पर निर्गम विभाग का नवीनीकरण शामिल है, जो कि निर्देश के तहत और बैंक की संतुष्टि के लिए तैयार किए गए ड्राइंग और विनिर्देशों के अनुसार है।

एक. **अनुबंधः:** अनुबंध का प्रपत्र मुद्रित प्रपत्र "अनुबंध की शर्तें" के अनुसार होगा। निम्नलिखित खंडों को ठेकेदार के दायित्व के विस्तार के रूप में माना जाएगा, न कि सीमा में है।

सभी महत्वपूर्ण चित्रों को बोर्डों पर रखा जाना चाहिए और रैक में रखा जाना चाहिए और अनुक्रमित किया जाना चाहिए।

दो. **आयाम:** चित्रित आयाम सभी मामलों में स्केल किए गए आकारों को वरीयता में स्वीकार किए जाने चाहिए। बड़े पैमाने पर विवरण छोटे पैमाने पर चित्रों पर प्राथमिकता लेते हैं। यदि विसंगति है तो ठेकेदार को कार्य को आगे बढ़ाने से पहले स्पष्टीकरण मांगना होगा।

तीन. **ठेकेदार को अपनी दरों में शामिल करना होगा:** ठेकेदार दर बनाते समय सभी मदों को शामिल करेगा।

चार. **साइट का निरीक्षण करने के लिए ठेकेदार:** ठेकेदार कार्य स्थल का दौरा करेगा और जांच करेगा और मौजूदा सड़कों या संचार के अन्य साधनों की प्रकृति, कार्य की सीमा और परिमाण और सामग्री प्राप्त करने के लिए सुविधाओं के बारे में खुद को संतुष्ट करेगा और काम के निष्पादन को प्रभावित करने वाले सभी मामलों पर आम तौर पर अपनी जानकारी प्राप्त करेगा। इनमें से किसी भी बिंदु पर किसी भी गलतफहमी या गलत जानकारी या अपर्याप्त विवरण के आधार पर किए गए किसी भी अतिरिक्त शुल्क की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस निविदा को प्रस्तुत करने के लिए जानकारी प्राप्त करने के संबंध में ठेकेदार द्वारा किए गए सभी खर्च, जिसमें साइट पर उसका दौरा या निविदा संकलित करने के प्रयास शामिल हैं, निविदाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा और इसकी प्रतिपूर्ति के लिए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा

पाँच. **साइट तक पहुंच:** ठेकेदार को कार्यों के लिए आवश्यक साइट तक पहुंच बनाने के लिए अपनी दरों में शामिल करना है।

छः. **सेट आउट:** ठेकेदार योजनाओं के अनुसार कार्यों को निर्धारित करेगा। सभी ग्रिड/सेंटर लाइन को नियोक्ता की संतुष्टि के लिए चिह्नित किया जाएगा। ठेकेदार अस्तर की शुद्धता के लिए जिम्मेदार होगा और किसी भी अशुद्धि को अपने खर्च पर ठीक किया जाना है।

सात. **खजाना कोष: (यदि लागू हो):** यदि कोई खजाना, जीवाश्म, खनिज, या किसी भी प्रश्न के हित की कला के काम को पूरा करते समय पाया जाता है, ठेकेदार नियोक्ता को ऐसी किसी भी खोज के तत्काल नोटिस देगा और नियोक्ता को इस तरह की खोज सौंप देगा।

आठ. **निरीक्षण के लिए पहुंच:** ठेकेदार को कार्य की प्रगति के दौरान और रखरखाव अवधि के दौरान हर समय प्रवेश के उचित साधन, सीढ़ियों आदि के साथ प्रदान करना होगा और नियोक्ता द्वारा कार्य के माप के निरीक्षण के लिए निर्देशित रूप से स्थानांतरित करने और अनुकूलित करने के लिए आवश्यक उपस्थिति प्रदान करनी होगी।



नौ. परिवहन की लागत: ठेकेदार साइट पर और नियोक्ता द्वारा समय-समय पर अनुमोदित स्थानों पर इस काम के लिए आपूर्ति और माल और सामग्री के सभी परिवहन, अनलोडिंग, स्टैकिंग और भंडारण के लिए अपनी लागत में अनुमति देगा। ठेकेदार साइट पर सभी सामग्रियों (नियंत्रित या अन्यथा) के परिवहन के लिए अपनी कीमत की अनुमति देगा।

दस. सामग्री, कारीगरी और नमूने: सामग्री अनुमोदित गुणवत्ता की होगी और अपनी तरह की सर्वोत्तम उपलब्ध होगी और आम तौर पर आईएस विनिर्देशों के अनुरूप होगी। ठेकेदार जितनी जल्दी हो सके काम के निष्पादन के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों का आदेश देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सामग्री काम में उपयोग के लिए आवश्यकताओं से काफी पहले साइट पर है। इसमें शामिल कार्य में गति और नियोक्ता की संपूर्ण संतुष्टि के साथ उच्च स्तर की कारीगरी की आवश्यकता होती है। गैर-निविदा मदों के लिए दरें:

ग्यारह. मात्रा की अनुसूची में शामिल नहीं वस्तुओं की दरें नियोक्ता द्वारा तय की जाएंगी जैसा कि अनुबंध की शर्तों के भिन्नता खंड में उल्लिखित है।

बारह. शामिल करने के लिए दरें: उद्धृत दरें सभी लीड और लिफ्टों और तैयार कार्य के लिए होंगी।

तेरह. अन्य ट्रेडों के लिए ठेकेदार से पता लगाने के लिए: ठेकेदार नियोक्ता द्वारा निर्देशित अन्य ठेकेदार से अपने निष्पादन के क्रम के संबंध में उनके काम से संबंधित सभी विवरणों का पता लगाएगा और जिस स्थिति में पीछा, छेद और इसी तरह की वस्तुओं की आवश्यकता होगी, काम हाथ में लेने से पहले क्योंकि किसी भी उपेक्षा के परिणामस्वरूप पहले से निष्पादित काम को काटने के लिए अतिरिक्त के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा इन विवरणों का पहले से पता लगाने के लिए ठेकेदार। सामग्री ऑर्डर करने से पहले, ठेकेदार समय पर नियोक्ता से नमूना स्वीकृत करवा देगा।

चौदह. कार्य और सामग्री का परीक्षण: ठेकेदार नियोक्ता द्वारा तय और निर्देशित कार्य के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का परीक्षण करने की व्यवस्था करेगा, ताकि उनकी सुदृढ़ता और दक्षता साबित हो सके। परीक्षण के लिए सामग्री के नमूने भेजने से पहले, नमूनों को ठेकेदार और नियोक्ता के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से सील और हस्ताक्षरित किया जाएगा और प्रत्येक नमूने को अलग-अलग पहचान चिह्न दिया जाएगा। विभिन्न परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर, संबंधित पहचान दिखाते हुए किए गए सभी परीक्षणों के लिए उचित रिकॉर्ड रखा जाएगा

नमूनों और परिणामों के निशान। यदि इस तरह के किसी भी परीक्षण के बाद, नियोक्ता की राय में कार्य या कार्य का हिस्सा दोषपूर्ण या अनुचित पाया जाता है, तो ठेकेदार ऐसे कार्यों को अपने खर्च पर हटा देगा और फिर से करेगा। परीक्षण के बाद दोषपूर्ण या अस्वस्थ घोषित या विनिर्देशों के अनुरूप नहीं पाई जाने वाली सामग्री को ठेकेदार द्वारा तुरंत साइट से हटा दिया जाएगा।

यदि ठेकेदार उचित समय पर कार्य/कार्यों/सामग्री के हिस्से का परीक्षण करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता इस तरह के परीक्षण करने की व्यवस्था करेगा और इस तरह के परीक्षणों के संबंध में नियोक्ता द्वारा किए गए सभी परीक्षण शुल्क और अन्य आकस्मिक व्यय ठेकेदार से वसूले जाएंगे।

इस तरह के किसी भी परीक्षण के बाद, नियोक्ता की राय में काम या कार्यों का हिस्सा दोषपूर्ण या अनुचित पाया जाता है, ठेकेदार अपने खर्च पर ऐसे कार्यों को हटा देगा और फिर से करेगा। परीक्षण के बाद दोषपूर्ण या अस्वस्थ घोषित या विनिर्देशों के अनुरूप नहीं पाई जाने वाली सामग्री को ठेकेदार द्वारा तुरंत साइट से हटा दिया जाएगा।

पंद्रह. साइट की समाशोधन: जैसा कि कार्यालय भवन में काम किया जाना है, ठेकेदार मलबे को हटा देगा और अपने खर्च पर हर दिन के अंत में भवन को साफ करेगा और क्षेत्र को साफ सुथरा बनाए रखेगा।

काम के लिए विशेष शर्तें और निर्देश

निविदाकर्ता विशेष रूप से निम्नलिखित पर ध्यान दे सकता है:

एक. इस अनुबंध में शामिल कार्य निर्गम विभाग के नवीनीकरण के लिए है। इस भवन में बैंक के कार्यालय कार्य करेंगे और इसलिए कम से कम व्यवधान के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। और इस खाते पर नियोक्ता/बैंक द्वारा किसी भी अतिरिक्त दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

दो. कार्यालयों और उसमें काम करने वाले लोगों को असुविधा से बचाने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरतते हुए ठेकेदार द्वारा कार्य किया जाएगा।

तीन. ठेकेदार काम के लिए नियोजित किए जाने वाले मजदूरों के लिए कार्य पास प्राप्त करेगा। फोटो के साथ पहचान पत्र के साथ कार्य पास प्राप्त किया जाना है। ठेकेदार को इस कार्य में कार्यरत अपने कर्मचारियों से किया गया पुलिस सत्यापन प्राप्त करना होता है।

चार. भवन के परिसर क्षेत्र में नियोक्ता/बैंक द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में कोई मलबा संग्रहीत या ढेर नहीं किया जाएगा। ठेकेदार कार्य की प्रगति के दौरान भवन को साफ रखेंगे और दिन-प्रतिदिन के आधार पर काम की प्रक्रिया में बनाए गए मलबे/अवांछित और अनुपयोगी सामग्री को हटाना सुनिश्चित करेंगे, और मलबे को नियमित आधार पर भवन से बाहर निकाला जाएगा, लेकिन किसी भी स्थिति में मलबे को एक सप्ताह से अधिक समय तक बैंक के भीतर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी स्थिति में किसी भी तरह का मलबा आदि नगर निगम के फुटपाथ पर नहीं रखा जाएगा। ऐसा करने में विफलता के मामले में, ठेकेदार नगर पालिका या न्यायालय द्वारा लगाए गए सभी जुर्माना, यदि कोई हो, का भुगतान करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे, जिसमें अदालत के समन आदि में भाग लेना शामिल है।

पाँच. अपेक्षित औपचारिकताओं के बिना भवन के अंदर और बाहर मलबे सहित सामग्री की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठेकेदार नियोक्ता/बैंक को सामग्री/मलबे की आवाजाही के बारे में सलाह देगा।

छः. ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी को साइट पर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सात. उद्धृत दरें सभी एटी, ऊंचाई पर काम करने के लिए मान्य होंगी। उच्च या निम्न एटी पर मजदूरों और सामग्रियों के परिवहन के लिए मचान, स्टेजिंग, सीढ़ी आदि के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

आठ. उद्धृत दरों में कार्य क्षेत्र में सभी फर्नीचर, कंप्यूटर और उसके बाह्य उपकरणों, मशीनों, कूलर आदि को पीवीसी शीट के साथ कवर करने और अगले दिन कार्यालय खोलने से पहले पूरे क्षेत्र और फर्नीचर की सफाई और धूल झाड़ने की लागत भी शामिल होनी चाहिए।

स्थान:

ठेकेदार का नाम और पता: तिथि:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर:

चेक लिस्ट (जहां भी लागू हो)

(बोलीदाता द्वारा भरा जाना है)

क्रम सं.	निविदा के भाग- I के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज/पुष्टिकरण	बोलीदाता की प्रतिक्रिया (हां/नहीं)
1	पूर्व-योग्यता मानदंड: फर्म की संरचना [अध्याय 5 खंड संख्या- 6 (ए) देखें] - <u>अनुलग्नक-I</u>	

2	प्रतिभूति जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा: अनुलग्नक-II	
3	पूर्व-योग्यता मानदंड: ठेकेदार की साख और निर्दिष्ट अवधि के दौरान उनका टर्नओवर [अध्याय 5 खंड संख्या- 6 (सी) देखें]	
4	ग्राहक प्रमाण पत्र अवधि [अध्याय 5 खंड संख्या- 6(एच) देखें]	
5	बयाना राशि जमा के लिए बैंक गारंटी का मसौदा अनुलग्नक-III	
6	क्या बोलीदाता कार्य के उन सभी पहलुओं से संतुष्ट है जो परियोजना के पूरा होने और/या दरों पर प्रभाव डाल सकते हैं	

स्थान:

ठेकेदार का नाम:

दिनांक:

पता:

ठेकेदार का हस्ताक्षर और मुहर:



फर्म/कंपनी की संरचना
(निविदाकर्ता द्वारा ई-टेंडरिंग पोर्टल में अपलोड किया जाना है-जहां भी लागू हो)

(मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई गुवाहाटी की दूसरी मंजिल पर निर्गम विभाग का नवीनीकरण)

1	आवेदक/संगठन का नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता	
2	पैन नं.	
3	जीएसटीआईएन	
4	आवेदक/संगठन का प्रकार (चाहे एकल स्वामित्व / साझेदारी / प्राइवेट लिमिटेड / लिमिटेड या सहकारी निकाय आदि)	
5	प्रोपराइटर/पार्टनर्स का नाम /आवेदक/संगठन/फर्म के निदेशक।	
6	पंजीकरण का विवरण (फर्म, कंपनी, आदि)पंजीकरण प्राधिकरण, तिथि, संख्या आदि।	
7	पंजीकृत कार्यालय, पता, मोबाइल नंबर: ईमेल आईडी कार्यालय का पता जिसके माध्यम से कार्य संभाला जाएगा	
8	इंगेत करें कि क्या किसी मुकदमेबाजी में शामिल है	
9	किसी भी कार्य में लंबित कोई भी दीवानी मुकदमा निष्पादित किया गया। विवरण दें।	

घोषणा:

उपरोक्त जानकारी, मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और यदि कोई जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है, तो मुझे/हमें निविदा प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है/अनुबंध दिया जा सकता है।

मैं/हम बैंक द्वारा निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

मैं/हम समझते हैं कि बैंक किसी भी कारण को बताए बिना पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी या सभी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

स्थान:

ठेकेदार का नाम:

दिनांक:

पता:

ठेकेदार का हस्ताक्षर और मुहर:



भाग- II

के लिए ई-निविदा

मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई गुवाहाटी की दूसरी मंजिल पर निर्गम विभाग का नवीनीकरण

ई-निविदा संख्या- आरबीआई/गुवाहाटी/संपदा /2//26-27/ईटी/110
आरबीआई/गुवाहाटी/संपदा /3//26-27/ईटी/111

निविदाकर्ता का नाम: _____

पता: _____

ई-मेल आईडी और संपर्क नंबर: _____

ई-निविदा के प्रकाशन की तिथि	22 मई, 2026 को 17:00 बजे
प्री-बिड मीटिंग की तिथि	28 मई, 2026 पर 11:00 बजे से
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	15 जून, 2026 को 14:00 बजे तक
ई-निविदा के भाग- I के खुलने की तिथि	15 जून, 2026 को 15:00 बजे से



मात्राओं की अनुसूची

उद्देशिका

उद्धृत दरों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

एक. मात्रा की अनुसूची में दर्शाई गई वस्तु और मात्रा अस्थायी हैं और कार्य की आवश्यकता के अनुसार हैं और जैसा कि बैंक द्वारा तय किया गया है, कुछ वस्तुओं/मात्राओं को निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है या किसी भी हद तक मात्रा में कमी के साथ निष्पादित किया जा सकता है। ठेकेदार को बैंक के निदेश के अनुसार वस्तुओं/मात्राओं का निष्पादन करना होता है और मदों के संचालन न होने/मात्रा में कमी के संबंध में बैंक द्वारा इस खाते पर किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। दरों को उद्धृत करने से पहले साइट पर जाने, काम के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और काम के दायरे को अच्छी तरह से समझने की सलाह दी जाती है

दो. ठेकेदार ठेका श्रम अधिनियम, 1970 और उसके तहत बनाए गए नियमों और अन्य सभी प्रासंगिक सांविधिक अधिनियमों (जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि) के तहत निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन करेगा और उन्हें पूरा करेगा। यदि ठेकेदार द्वारा नियोजित मजदूरों की संख्या बीस या उससे अधिक है, तो ठेकेदार क्षेत्रीय श्रम आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त करेगा। ठेकेदार क्षेत्रीय श्रम आयुक्त द्वारा अपेक्षित सभी रजिस्ट्रारों/दस्तावेजों को साइट पर बनाए रखेगा और जब भी आवश्यक हो, बैंक या उसके प्रतिनिधि को प्रस्तुत करना चाहिए।

तीन. ठेकेदार को वेतन भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ग्रेच्युटी अधिनियम 1972, स्टॉप अधिनियम 1899, ईपीएफ अधिनियम 1952, ईएसआई अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 आदि और सभी लागू वैधानिक नियमों/दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। किसी भी वैधानिक मानदंडों/आवश्यकताओं द्वारा जारी किए गए नोटिस/जुर्माना, यदि कोई हो, का भुगतान ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को किसी भी दावे के बिना किया जाएगा।

चार. ठेकेदार द्वारा साइट पर कार्यरत कर्मचारियों और कामगारों से संबंधित सभी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण नियमों का पालन करने में होने वाले समस्त खर्चों और शुल्कों का प्रावधान करना।

पाँच. बैंक ठेकेदार को बैंक की इमारत से पानी (यदि बैंक के साथ पानी की आपूर्ति कार्य के दौरान पर्याप्त है) और बिजली लेने की अनुमति देने पर विचार कर सकता है। यदि वे बैंक के सामान्य क्षेत्र से बिजली का उपयोग करने के इच्छुक हैं तो कटिंग मशीन आदि की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा बैंक के मीटर और तारों के भार के अनुसार की जाएगी। यदि कार्य के कारण बिजली की लाइन/बिजली मीटर को कोई नुकसान होता है तो ठेकेदार को इसे अपने खर्च पर ठीक करना होगा, ऐसा न करने पर बैंक ठेकेदार को मामले को आगे संदर्भित किए बिना ठेकेदार के बिल/सुरक्षा जमा से नुकसान की लागत वसूल करेगा।



छः. काम के लिए उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों आदि की व्यवस्था करने और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक शुल्क ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। उपरोक्त कार्यों में केवल अनुमोदित सामग्री का उपयोग किया जाना है।

सात. ठेकेदार को भवन के बाहर मलबे के संग्रह और निपटान की व्यवस्था करनी होती है और दिन-प्रतिदिन के काम के बाद साइट को साफ रखना होता है।

आठ. ठेकेदार कार्य की विस्तारित अवधि के लिए आवश्यक बीमा पॉलिसियों और बैंक गारंटी की वैधता सुनिश्चित करेगा।

नौ. ठेकेदारों को कार्य सौंपने के ठीक बाद एक समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा और काम शुरू होने से पहले इसे बैंक से अनुमोदित करना होगा।

दस. ठेकेदार अधिकारियों से अनुमति सहित बैंक भवन से सामग्री लाने और निकालने के लिए आवश्यक कार्य अनुमति/गेट पास प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा।

ग्यारह. दरों में जीएसटी, परिवहन शुल्क आदि जैसे सभी प्रासंगिक कर और काम पूरा करने के लिए आवश्यक सभी सामान शामिल होने चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। सभी सामग्रियों और श्रम की कीमतों में सभी उतार-चढ़ाव ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे।

बारह. ठेकेदार अपनी लागत पर बैंक द्वारा तय और निर्देशित किसी भी सामग्री की व्यवस्था करेगा और/या किसी भी परीक्षण को करेगा। यदि ठेकेदार उचित समय पर कार्य/कार्यों/सामग्री के हिस्से/सामग्री का परीक्षण कराने में विफल रहता है, तो बैंक इस तरह के परीक्षण कराने की व्यवस्था करेगा और ऐसे परीक्षणों के संबंध में बैंक द्वारा किए गए सभी परीक्षण शुल्क और अन्य आकस्मिक व्यय ठेकेदार से वसूले जाएंगे।

13. ठेकेदार और कामगार का पुलिस सत्यापन अनिवार्य है।

स्थान:

ठेकेदार का नाम:

दिनांक:

पता:

ठेकेदार का हस्ताक्षर और मुहर: